एक सम्मानित सदस्य : पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Honourable Members, I have already stated that I shall immediately check up the record and find out the words he has used.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: During the day.

THE VICE-CHAIRMAN (DR NAGEN SAIKIA): It is very unfortunate that one Member made such comments against the Leader of the House. He is not the Home Minister only but he is the Leader of the House also. The Member is not present here. Let him come back. So, we will take up the matter later on.

We shall now take up the The Government of National Capital Territory of Delhi Bill, 1991. The motion for consideration has already been moved. Shri Mohammed Afzal.

THE GOVERNMENT OF NATIONAL TERRITORY OF DELHI BILL, 1991 —Contd.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मोहतरम, वाईस चेयरमैन साहब, दिल्ली असेंबली लाने के सिलसिले में जो बिल यहां पेश किया गया है, मैं उसे खुशामदीद कहता हूं । दो शायरों ने इस सिलसिले में दो मिसरे कहे हैं, जो कि चव्हाण साहब की नजर करना चाहता हूं :

"बहुत देर की मेहरबां आते-आते, ... (व्यवधान) ...

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : محترم وائس چیئرمین صاحب ۔ دلی اسمبلی لانے کے سلسلے میں جو بل یہاں پیش کیا گیا ہے ۔ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں ۔ دو شاعروں نے اس سلسلے میں دو مصرعے کہے ہیں جو کہ چوان صاحب کی نذر کرنا چاہتا ہوں :

بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ... "مداخلت"...

सम्मानित सदस्य : आ गये-आ गये, बी. जे. पी. के सदस्य । ... (व्यवधान)

श्री लखीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) हाऊस आपकी जागीर है क्या, जो नहीं आयेंगे ? ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) आप लोग भी वाकआउट करते हैं, तब आप आते हो या नहीं आते हो; तो फिर कोई नयी बात है क्या ? ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Mohammed Afzal, carry on... (*Interruptions*) ...

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : सर, एक्सचेंजेज बंद हो जाये तो मैं शुरू करूं ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : سر ایکس چینج بند ہو جائیں تو میں شروع کروں ۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Yes, please go on.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली के बारे में एक कहावत है कि वह सात बार उजड़ी और सात बास बसी । अफसोस की बात यह

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

है कि गुजिस्ता आठ साल से दिल्ली को सियासी तौर पर आठवीं बार उजाड़ा गया था । मुझ खुशी है कि मौजूदा सरकार ने उसको सियासी तौर पर दोबारा बसाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है । बिल आ गया है और मैं समझता हूं कि ज्यादातर पार्टीज ने भी इसका स्वागत किया है, हमारी पार्टी भी इसका स्वागत करती है । बहरहाल जो रिजर्वेशंस है, जो कमियां हैं इसमें, उसकी तरफ ध्यान दिलाना मैं अपना फर्ज समझता हूं । ... (व्यवधान) ...

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل: سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دلّی کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ وہ سات بار اجڑی اور سات بار بسی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ آٹھ سال سے دلّی کو سیاسی طور پر آٹھویں بار اجاڑا گیا تھا مجھے خوشی ہے کہ موجودہ سرکار نے اس کو سیاسی طور پر دوبارہ بسانے کے لئے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ بل آگیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پارٹیز نے اس کا سواگت کیا ہے ہماری پارٹی بھی اس کا سواگت کرتی ہے۔ بہرحال جو ریزرویشنس ہیں جو کمیاں ہیں اس میں اس کی طرف دھیان دلانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں ..." مداخلت"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Jogi, kindly sit down... (*Interruptions*)...

श्री जीत जोगी : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Jogi, you have started speaking without taking permission from me. It will not go on record in this way. Without my permission if you go on speaking, it will not go on record. .. (*Interruptions*)... Please sit down. Why are you making noise? ...(*Interruptions*)... A few minutes back the Members, cutting across all party lines, almost, were of the opinion that some remark made by one honourable Member was not nice and it hurt the dignity of the Leader of the House. That honourable Member is now present here and I would like him to react.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I am one who always upholds the dignity of this House and that of the Leader of the House. Might be—I do not recall it—I have uttered certain wrong words that you deem to be unfit. I withdraw them with all my humility.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Okay. The matter is over.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मोहतरम वाईस चेयरमैन साहब, दिल्ली का जो बिल आया है, मैंने पहले भी कहा कि उसको तमाम पार्टियों ने वेलकम किया है और हमारी पार्टी भी इस बिल को वेलकम करती है लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जिन पर तवज्जह दिलाना मैं अपना फर्ज समझता हूं ।

मोहतरम, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों के लोग आकर रहते हैं और रह रहे हैं, यहां के निवासी बन चुके हैं । इसमें मुख्तलिफ सूबों से ही लोग नहीं आए हैं बल्कि मुख्तलिफ जातों से, मुख्तलिफ फिरकों से और मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं । जो बिल आया है, उसमें कहा गया है कि 70 लोगों की एक असेंबली यहां पर बनेगी । मेरा ख्याल है कि चूंकि यहां काउंसिल नहीं है और इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिससे अगर किसी मौके पर यह महसूस किया जाए कि कोई फिरका या कोई कम्युनिटी या कोई सैक्शन अनरिप्रैजेंटेड है तो उस को किसी तरह से उसके अंदर शामिल किया जाए और असेंबली में लाकर उसके रिप्रेजेंटेशन को पूरा किया जाए । तो मैं

*Not recorded.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

मोहतरम वजीरे दाखिला से गुजारिश करूंगा कि वे इसमें एक तरमीम करें और चूंकि यहां काउंसिल नहीं है इसलिए कम से कम 25 फीसदी लोग को-ऑप्ट किए जाएं जिनमें 10 फीसदी लोगों को सदर, जम्हूरियते हिंद नामजद करें और 15 लोगों को खुद असेंबली के लोग ही को-ऑप्ट करें ताकि उनकी सही रिप्रेजेंटेशन हो। मिसाल के तौर पर अगर औरतों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है या मिसाल के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर ईसाई कम्युनिटी के लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं लेकिन ईसाई मेंबर के आने का कोई साधन मुझे वजाहिर नजर नहीं आता और अगर वह पूरा नहीं होता तो को-ऑप्ट करके उस कम्युनिटी का सैटिस्फैक्शन हो सके। इसी तरह किसी का भी हो सकता है। यह मेरा पहला सजैशन है।

दूसरी बात यह है कि लैफ्टिनेंट गवर्नर के सिलसिले में जो पावर्स दी गई हैं, उनमें फाइनेंस की काफी डिस्क्रैशनरी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां अगर गवर्नर की भी फाइनेंस की डिस्क्रैशनरी पावर्स होगी और चीफ मिनिस्टर की पावर्स कम होगी तो इससे फ्यूचर में झगड़ा पैदा होने का अंदेशा है। लिहाजा मेरा स्ट्रेटफारवर्ड कहना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो फाइनेंनशियल डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, उन पावर्स को कम किया जाना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिए।

एक बहुत अहम बात यह है कि जो म्युनिसिपल बाडीज हैं, उनको इंटैक्ट छोड़ा गया है, उनकी पावर्स को ज्यों का त्यों छोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर डी.टी.सी. है, डेसू है, एन.डी.एम.सी. है, एम.सी.डी. है, वाटर एण्ड सीवेज अंडरटेकिंग है, दिल्ली मिल्क स्कीम है और मदर डेयरी है। यह बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं। अगर इनको बिल्कुल असेंबली से अलहदा कर दिया जाए और किसी किस्म का कोई कंट्रोल अवामी नुमाइंदों का इन पर न रहे तो मैं समझता हूं कि उस असेंबली की रूह जो है, वह मुतासिर होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पावर्स इंटैक्ट नहीं छोड़नी चाहिए और असेंबली को कुछ न कुछ अख्तियारात इस सिलसिले में होने चाहिए।

एक बहुत अहम मसला बहुत सारे मेम्बरान ने पहले उठाया था वह डिलिमिटेशन का है। दिल्ली के अंदर जब 1977 में डिलिमिटेशन हुआ था तो माइनोरिटीज कम्युनिटीज ने यह बात महसूस की कि उनके हलकों को मोहतरम इस तरह से बांटा गया कि उनका कंसंट्रेशन खत्म कर दिया गया। मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूं। सदर बाजार की एक कांस्टीट्युएंसी है, चांदनी चौक की एक कांस्टीट्युएंसी है या फिर दूसरी जगहों पर हमने यह देखा कि जैसे जाफराबाद है, वहां पर कारपोरेशन की एक कांस्टीट्युएंसी है। वहां मुस्लिम लोग माइनोरिटी में है लेकिन उसको एक रिजर्वड कांस्टीट्युएंसी बना दिया गया। तो डिलिमिटेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि अख्लियती वोट्स को बांट की दीदाओं दानिस्तां कोशिश न की जाए इस बात पर मैं बार-बार तवज्जह दिला रहा हूं और वजीरे दाखिला साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि जब भी डिलिमिटेशन किया जाए तो इस बात का खास तौर पर ख्याल किया जाए कि जो माइनोरिटी कम्युनिटीज हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनके वोट्स के कंसंट्रेशन को खत्म करने की कोशिश न की जाए।

मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। दिल्ली में दो तरह की गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ अख्तियारात हैं और दिल्ली की जो असेंबली होगी, उसके भी कुछ अख्तियारात हैं। सर, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि इनका कोआर्डिनेशन ठीक तरह से होना चाहिए और इस सिलसिले में लोकसभा में कुछ रिस्पैक्टिव मेम्बरान ने अपने सजेशन रखे हैं कि एक कोआर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो दोनों सरकारों के दरम्यान काम करे ताकि फ्यूचर में कभी इस मसले पर झगड़ा पैदा न हो। मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं, मैंने पहले भी इस बात पर बोलते हुए कहा था कि दिल्ली का लैंड और ला एण्ड आर्डर, दो बड़े अहम मसले हैं और यह मरकजी सरकार को अपने पास रखने चाहिए। हमारा माजी का तजुर्बा यह बताता है कि अगर लैंड को दिया जाए

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

किसी को और इत्तफाक से कोई सरकार, किसी की भी सरकार हो सकती है और माजी में ऐसी मिसालें कुछ स्टेट्स में हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने यहां बहुत ही सस्ते दामों में जमीनों को फरोख्त कर दिया। दिल्ली का जो लैंड का मसला है, यहां एक-एक इंच जमीन की बहुत ज्यादा कीमत है। इसलिए लैंड वाकयी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। ऐसा करके, बिल के अंदर रखकर एक बहुत अच्छा प्रोविजन उन्होंने किया है, मैं उसको खुशामदीद कहता हूं।

आखिर में सर, मैं यह कहूंगा कि दिल्ली एक अहम जगह है, मुल्क की राजधानी है। यहां पर जो भी काम होगा, सियासी प्रोसैस जो भी शुरू किया जाएगा, उसका ताल्लुक पूरे मुल्क से है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल बहुत अच्छा है। इस बिल को हर तरफ से खुशामदीद किया जाना चाहिए लेकिन जितनी जल्दी में इसको लाया जा रहा है, इससे मैं समझता हूं बहुत ही अहम नुक्तों पर हमारे मुअज्जिज मेम्बरान बहस नहीं कर पायेंगे और तफसील से इसका जायजा नहीं ले पायेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस बिल को बहुत जल्दी में नहीं लाना चाहिए। इसके एक-एक पहलू पर गौर किया जाना चाहिए और मैं तो आज भी यह कहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी में इसको रेफर किया जाए ताकि वह इसके एक-एक पहलू पर बहुत अच्छी तरह से गौर करके और फिर इसको लागू किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: आया ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو تمام پارٹیوں نے ویلکم کیا ہے اور ہماری پارٹی بھی اس بل کو ویلکم کرتی ہے لیکن کچھ ضروری چیزیں ہیں جن پر توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں

محترم۔ دلّی ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں ملک کے تقریباً تمام حصوں کے لوگ آکر بستے ہیں اور رہ رہے ہیں یہاں کے نواسی بن چکے ہیں اس میں مختلف صوبوں سے ہی لوگ نہیں آتے ہیں بلکہ مختلف ذاتوں سے مختلف فرقوں سے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو بل آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ۷۰ لوگوں کی ایک اسمبلی یہاں پر بنے گی میرا خیال ہے کہ چونکہ یہاں کا کونسل نہیں ہے اور اس بل میں ایسا کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ جس سے اگر کسی موقع پر یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی فرقہ یا کوئی کمیونٹی یا کوئی سیکشن ان ری پریزنٹڈ ہے تو اس کو کس طرح سے اس کے اندر شامل کیا جائے اور اسمبلی میں لاکر اس کے ریپریزنٹیشن کو پورا کیا جائے۔ تو میں محترم وزیر داخلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں ایک ترمیم کریں اور کیونکہ یہاں کا کونسل نہیں ہے اس لئے کم سے کم ۲۵ فیصدی لوگوں کو اوپٹ کیا جائے جس میں ۱۰ فیصدی لوگوں کو صدر جمہوریہ ہند نامزد کریں اور ۱۵ لوگوں کو خود اسمبلی کے لوگ ہی کو اوپٹ کریں تاکہ ان کا

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का तहेदिल से खैरमकदम करता हूं। इस बिल को सभी पार्टियों ने वेलकम किया है और हमारी पार्टी भी इस बिल को वेलकम करती है लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जिन पर तवज्जो दिलाना मैं जरूरी समझता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां मुल्क के लगभग सभी हिस्सों के लोग आकर बसते हैं और रह रहे हैं। यहां के नवासी बन चुके हैं। इसमें विभिन्न प्रांतों से ही लोग नहीं आते हैं बल्कि विभिन्न जातियों से, विभिन्न फिरकों से और विभिन्न मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जो बिल आया है उसमें कहा गया है कि ७० लोगों की एक असेम्बली यहां पर बनेगी। मेरा खयाल है कि चूंकि यहां कौंसिल नहीं है और इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिससे अगर किसी मौके पर यह महसूस किया जाए कि कोई फिरका या कोई कम्युनिटी या कोई सैक्शन अंडर रिप्रेजेंटेड है तो उसको किस तरह से इसके अंदर शामिल किया जाए और असेम्बली में लाकर उसके रिप्रेजेंटेशन को पूरा किया जाए, तो मैं माननीय वजीर-ए-दाखिला से गुजारिश करूंगा कि वह इसमें एक अमेंडमेंट करें और क्योंकि यहां कौंसिल नहीं है इसलिए कम से कम २५ फीसदी लोगों को अपॉइंट किया जाए जिसमें १० फीसदी लोगों को सदर-ए-जम्हूरिया-ए-हिंद नामजद करें और १५ लोगों को खुद असेम्बली के लोग ही को-अपॉइंट करें ताकि उन का

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

مثال کے طور پر ڈی ٹی سی ہے۔ ڈی ایس یو ہے، این ڈی ایم سی ہے۔ ایم سی ڈی ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج انڈر ٹیکنگ ہے۔ دلّی ملک اسکیم ہے اور مدر ڈیری ہے۔ یہ بہت ہی ایسنشیل سروسز ہیں۔ اگر ان کو بالکل اسمبلی سے علیحدہ کر دیا جائے اور کسی قسم کا کوئی کنٹرول عوامی نمائندوں کا ان پر نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کی روح جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاورس اٹیچ نہیں چھوڑنی چاہئیں اور اسمبلی کو کچھ نہ کچھ اختیارات اس سلسلے میں ہونے چاہئیں۔

ایک بہت اہم مسئلہ بہت سارے ممبران نے پہلے بھی اٹھایا تھا وہ ڈیلیمیٹیشن کا ہے۔ دلّی کے اندر جب ۱۹۷۷ میں ڈیلیمیٹیشن ہوا تھا تو مائناریٹی کمیونٹیز نے یہ بات محسوس کی کہ ان کے حلقوں کو محترم اس طرح سے بانٹا گیا کہ ان کا کنسٹولیشن ختم کر دیا گیا۔ میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں، صدر بازار کی ایک کانسٹی ٹیونسی ہے۔ چاندنی چوک کی ایک کانسٹی ٹیونسی ہے یا پھر دوسری جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جعفر آباد ہے۔ وہاں پر کارپوریشن کی ایک کانسٹی ٹیونسی ہے۔ وہاں مسلم لوگ مائناریٹی میں ہیں لیکن اس کو ایک ریزرو کانسٹی ٹیونسی بنا دیا گیا۔ تو ڈیلیمیٹیشن کرتے وقت صحیح رپریزینٹیشن ہو۔ مثال کے طور پر اگر عورتوں کا صحیح رپریزینٹیشن نہیں ہے یا مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلی کے اندر عیسائی کمیونٹی کے لوگ کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں لیکن عیسائی ممبر کے چننے کا کوئی سادھن مجھے بظاہر نظر نہیں آتا اور اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو کوآپٹ کر کے اس کمیونٹی کا سیٹس فیکشن ہو سکے۔ اسی طرح کسی کا بھی ہو سکتا ہے یہ میرا پہلا سجیشن ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کے سلسلے میں جو پاورس دی گئی ہے۔ ان میں فائننس کی کافی ڈسکریشنری پاورس لیفٹیننٹ گورنر کو دے دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلّی ایک ایسا شہر ہے جہاں اگر گورنر کو بھی فائننس کی ڈسکریشنری پاورس ہوں گی اور چیف منسٹرس کی پاورس کم ہوں گی تو اس سے فیوچر میں جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے لہذا میرا اسٹریٹ فارورڈ کہنا یہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کی جو فائننشیل ڈسکریشنری پاورس ہیں۔ ان پاورس کو کم کیا جانا چاہیئے اور چیف منسٹر کو زیادہ سے زیادہ پاورس دی جانی چاہیئے۔

ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو میونسپل باڈیز ہیں ان کو اٹیچ چھوڑا گیا ہے ان کی پاورس کو جیوں کا تیوں چھوڑا گیا ہے

اگر لینڈ کو دے دیا جائے کسی کو اور اتفاق سے کوئی سرکار۔ کسی کی بھی سرکار ہو سکتی ہے اور ماضی میں ایسی مثالیں کچھ اسٹیٹس میں ہیں کہ چیف منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے یہاں بہت ہی سستے داموں میں زمینوں کو فروخت کر دیا۔ دلّی کو جو لینڈ کا مسئلہ ہے۔ یہاں ایک ایک انچ کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اس لئے لینڈ واقعی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہونی چاہیئے۔ ایسا کر کے بل کے اندر رکھ کر ایک بہت اچھا پروویژن انہوں نے کیا ہے۔ میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔

آخر میں سر میں یہ کہوں گا کہ دلّی ایک بہت اہم جگہ ہے۔ ملک کی راجدھانی ہے۔ یہاں پہ جو بھی کام ہوگا۔ سیاسی پروسیس جو بھی شروع کیا جائے گا اس کو اس کا تعلق پورے ملک سے ہے۔ اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بل بہت اچھا ہے۔ اس بل کو ہر طرف سے خوش آمدید کیا جانا چاہیئے لیکن جتنی جلدی میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم نکتوں پر ہمارے معزز ممبران بحث نہیں کر پائیں گے اور تفصیل سے اس کا جائزہ نہیں لے پائیں گے۔ اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ اس بل کو بہت جلدی میں نہیں لانا چاہیئے۔ اس کے ایک ایک پہلو پر غور کیا جانا چاہیئے اور میں تو آج بھی یہ کہوں گا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اقلیتی ووٹ کو دیدہ و دانستہ بانٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس بات پر میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں اور وزیر داخلہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی ڈی مارکیشن کیا جائے تو اس بات کا خاص طور پر خیال کیا جائے کہ جو مائناریٹی کمیونٹیز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ ان کے ووٹ کے کنسٹرکشن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔

میں صرف سجیشن دے رہا ہوں۔ کوئی بھاشن نہیں کر رہا ہوں۔ دلّی میں دو طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ سینٹرل گورنمنٹ کے بھی کچھ اختیارات ہیں اور دلّی کی جو اسمبلی ہوگی اس کو بھی کچھ اختیارات ہیں۔ سر میری رکویسٹ یہ ہے کہ ان کا کوآرڈی نیشن ٹھیک طرح سے ہونا چاہیئے اور اس سلسلے میں لوک سبھا میں کچھ ریزرویشنز ممبران نے اپنے سجیشن رکھے ہیں کہ کوآرڈی نیشن کمیٹی ہونی چاہیئے جو دونوں سرکاروں کے درمیان کام کرے تاکہ فیوچر میں کبھی اس مسئلہ پر جھگڑا پیدا نہ ہو۔ میں اس بات کے لئے مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی اس بات پر بولتے ہوئے کہا تھا کہ دلّی کا لینڈ اور لا اینڈ آرڈر دو بڑے اہم مسئلے ہیں اور یہ مرکزی سرکار کو اپنے پاس رکھنے چاہئیں۔ ہمارا ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ

اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو ریفر کیا جائے۔ تاکہ وہ اس کے ایک ایک پہلو پر غور کیا جانا چاہیئے اور میں تو آج بھی یہ کہوں گا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو ریفر کیا جائے تاکہ وہ اس کے ایک ایک پہلو پر اچھی طرح سے غور کر کے اور پھر اس کو لاگو کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔۔۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Members will have to be very brief. We have only one hour's time for this debate and we have got 12 speakers.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Five minutes each.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Yes.

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आनरेबल होम मिनिस्टर चव्हाण साहब नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली में इलेक्टेड ऐसेम्बली और काउंसिल आफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए यह बिल सदन के सामने लाए हैं।

महोदय, दिल्ली एक ऐतिहासिक जगह है और इतिहास में इसका बहुत बड़ा स्थान है। यह बहुत पुराना शहर है। उसकी डिटेल में इस समय मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकारिया कमीशन या बालकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर दिल्ली को आपने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऐसेम्बली देने का फैसला किया है, शायद पहले इतनी हकूक वाली ऐसेम्बली दिल्ली में पहले कभी नहीं मिली। पहले अधिकार रहे हैं, ऐसेम्बली रही है, लेकिन उसके लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि वह इनइफेक्टिव थीं, मैट्रोपोलिटन काउंसिल उससे भी ज्यादा इनइफेक्टिव थी तो बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अब हो रहा है वह बहुत अच्छा है।

श्री **शारदा महतो** (उड़ीसा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। बाहर इतना शोरगुल है हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। लाबी में बहुत शोरगुल है (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : दरवाजा बंद करवा दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): That is in the Lobby. Members should be attentive to the proceedings and ignore the noise that is bejng made outside.

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Noise disturbs the House.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): It is for the first time that outside noise is more than the noise inside.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): It will be taken care of.

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल : यह पहली दफा हुआ नार्मली अंदर ही ज्यादा होता है।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: We cannot hear you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): It is an infection from inside.

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल : होम मिनिस्टर चव्हाण साहब ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि दिल्ली में मेट्रोपोलिटन कौंसिल हो या दिल्ली के अंदर असेम्बली हो। एम.एल.एज. बनें या कौंसिलर्स बनें यह टेक्नीकल सी बात है। दिल्ली के अंदर क्या होना चाहिए, किस चीज की जरूरत है मैं समझता हूं इन बातों पर

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

[श्री हरवेन्द्रसिंह हंसपाल]

आपने ध्यान दिया होगा । लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपका ध्यान कुछ बातों की तरफ ले जाना चाहूंगा। आपने इसका नाम बहुत अच्छा रखा—नेशनल केपिटल । यह सही बात है दिल्ली एक नेशनल केपिटल है। किसी एक स्टेट की केपिटल नहीं है। सारे देश के लोग यहां आकर बसते हैं, रहते हैं, विदेशी यहां रहते हैं, डिप्लोमेट्स यहां रहते हैं । दिल्ली एक माडल शहर बन जाए बहुत अच्छी बात होगी। यही एक खास बात है इसको आप असेम्बली देकर करें या किसी और ढंग से करें। आज हम बहुत से मेम्बरों को बाहर जाने का मौका मिलता है। हमें दुनिया के दूसरे देशों की केपिटल में जाकर देखने का मौका मिलता है बड़े-बड़े मुल्कों की केपिटल देखने का मौका मिलता है, छोटे से छोटे मुल्कों की केपिटल देखने का मौका मिलता है। मैं दिल्ली को उससे अलग नहीं करना चाहता लेकिन दिल्ली में, वे सब बातें जो है, उनसे भी अधिक होनी बहुत जरूरी है। इससे देश का मान, प्रतिष्ठा और ऑनर बढ़ता है । यह कैसे हो बहुत बड़े काम्पलेक्स का सवाल है। दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी कमी इस वक्त नजर आ रही है वह मल्टीपिलिसिटी आफ अथोरिटीज हैं । यहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, डी.डी.ए. है, डेसू है, एन.डी.एम.सी. है। न जाने कितनी और अंडरटेकिंग्स हैं जिनके पास बहुत बड़े-बड़े अख्तियार हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) पीठासीन हुए]

सवाल यह है कि उनकी क्या पोजीशन होगी । अब जब असेम्बली ले आयेंगे तो उनकी क्या पोजिशन होगी। आगे जाने से पहले मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली को पूरी असेम्बली नहीं दी जा सकती । जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली में सारे देश के लोग आकर बसते हैं, विदेशी यहां हैं, कॉस्मोपालिटन सिटी यह है । दिल्ली में एक पार्टी का राज आ जाए और सेन्टर में दूसरी पार्टी का राज हो, यह सही बात है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जायेगा । सेन्टर का कंट्रोल दिल्ली पर रहे यह अपनी जगह बहुत जरूरी है जब दिल्ली के ऊपर सेन्ट्रल का कंट्रोल रहेगा तब दिल्ली अच्छा शहर माडर्न शहर नहीं होगा तो उसका कसूरवार दिल्ली की असेम्बली या इलेक्टेड मेम्बर नहीं होंगे बल्कि मैं कहूंगा सेन्टर होगा।

दिल्ली के अंदर आज हालत यह है, जैसा मैंने शुरू में कहा यहां बहुत सी अथोरिटीज हैं। उनके पास बहुत बड़े साधन हैं लेकिन उनका सदुपयोग नहीं करते बल्कि शायद दुरुपयोग करते हैं । इसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर न पानी की हालत अच्छी है, न बिजली की हालत अच्छी है, न सेनिटेशन की हालत अच्छी है। रोड्स भी काफी खराब हैं, पार्कों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता।

मैं इनमें से दो बातों की ओर खासतौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा । इनमें से एक तो सेनिटेशन है और दूसरा वाटर सप्लाई है जिनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे यह बात कहते हुए लज्जा जरूर आ रही है, लेकिन मैं कहने से परहेज भी नहीं कर सकता । चव्हाण, साहब, अगर आप न गये हो तो किसी वक्त सुबह गाड़ी से दिल्ली से बाहर जाइये तो आपको अन्दाजा लग जाएगा कि क्या हालत है। मुझे बहुत साल तक बाई कार रोड से दिल्ली से मथुरा जाने का परसनल अनुभव है । मेरा बिजनेस ऐसा था कि मुझे जाना पड़ता था और सुबह जाना पड़ता था। मेरे साथ अक्सर विदेशी गेस्ट्स भी होते थे। कुछ बिजनेस इस किस्म का था कि एक्सपोर्ट करता था । जब तक हम दिल्ली क्रोस नहीं कर पाते थे तब तक आंखें ऊपर नहीं उठा पाते थे , आंखे नीची रखनी पड़ती थी, मजबूरी थी । आप मेरी बात को समझ गये होंगे । मैं इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता। इसमें विदेशी की बात नहीं है । कभी-कभी औरतें और बच्चे भी साथ होते थे और जितनी शर्म उस वक्त आती है, शायद मैं तो कह सकता हूं कि जिन्दगी में ऐसी बात कभी हुई हो।

दूसरी बात मैं पानी की कहना चाहता हूं । आज दिल्ली की कालोनीज में पानी इतना कम है कि शायद हिन्दुस्तान के किसी शहर में ऐसा न हो। मुझे लम्बे अर्से

तक एक दफा इंग्लैण्ड में, लन्दन में, रहने का मौका मिला और तीन-चार महीने तक न्युयार्क में भी रहने का मौका मिला। एक सेकेन्ड के लिए भी वहां कभी बिजली आफ नहीं हुई और एक सेकेन्ड के लिए भी पानी का प्रेशर कम नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली की क्या हालत है? मैं दो तीन साल पहले की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमको हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अपना पानी छोड़ दीजिए। अगर वे पानी नहीं छोड़ते तो दिल्ली की क्या हालत होती, इसका आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हरियाणा दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है। किसी वक्त खुदा न करे कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाजा हम नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली अपने आप में, वैसे मैं कहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में, ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी एमीनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज दी लास्ट इम्प्रेशन भी कहा जाता है, जो हमारे विदेशी यहां आते हैं या दूसरे हिस्सों से दिल्ली में आते हैं उन्हें ऐसा इम्प्रेशन मिले कि हमारे हिन्दुस्तान की केपिटल किसी तरह से भी दुनिया की किसी केपिटल से कम नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाय तो दिल्ली दुनिया की सब से अच्छी केपिटल बन सकती है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन पासिंग रेफरेन्स करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल मिनिस्ट्री का दिल्ली के लिए कोई स्पेशल आदमी डिपूट कर दिया जाय जो पोलिटिकल परसन हो, ब्यूरोक्रेट तो होंगे, तो सुधार जल्दी और अच्छा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

मैं लम्बी बात न करते हुये सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि ग्रांटस तो आप बहुत देते हैं और देते भी रहेंगे, दिल्ली के अन्दर जो बहुत-सी अन्डरटेकिंग्ज हैं, जिनका मैंने जिक्र किया है उनमें करप्शन बहुत है और करप्शन इस हद तक है कि शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो पी०डब्ल्यू०डी० है, उसके बिल जब पास होते हैं तो उसमें से 25 परसेंट तो दफ्तर में ही बंट जाता है। अगर आप चाहें तो मैं उसका डिटेल भी दे सकता हूं। आधा परसेंट से लेकर दो, ढाई परसेंट तक तो आपस में बंट जाता है और कुछ अफसरों को मिल जाता है। अगर यह हालत यहां पर होगी तो जो रुपया यहां से सेंक्शन किया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ तो अफसर खा जाते हैं और बाकी ठेकेदार हेराफेरी कर लेते हैं। ठेकेदार कम सीमेंट लगाते हैं, सब-स्टेंडर्ड मेटिरियल लगाते हैं। उससे अगली बात की तरफ इस वक्त मैं नहीं जाता हूं। लेकिन कोई न कोई ढंग इस किस्म का यहां पर अपनाया जाय जो एक्जाक्टली हो और यहां का काम ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से हो सके। दिल्ली के अन्दर सी लिंग तो है ही, सर्टेन बाई-लाज हैं जिनके मुताबिक कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं यह कहूं, मैं सब इलाकों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली के करोल बाग इलाके को ले लीजिये। वहां पर जो प्लांट आज से दो साल पहले 10 लाख, 20 लाख रुपये का भी नही था, वह आज 2–4 करोड़ का है। इसका रीजन बहुत सिम्पल है। वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। आज जहां ढाई मंजिल से ज्यादा नहीं बन सकते, बेस मेंट नहीं बन सकते, जहां बेसमेंट 75 परसेंट बनाना है उससे ज्यादा नहीं बन सकते वहां लोग समझते हैं कि ऊपर की जमीन तो गजों में नापी हुई है लेकिन नीचे जितना चाहे बेसमेंट बना लो, मंजिलें जितनी चाहो बना लो। उन मंजिलों को बनाने के लिये म्युनिस्पल कारपोरेशन आफ दिल्ली के रेट फिक्स हैं। जो दो सौ, ढाई सौ गज के प्लाट हैं, एक लाख रुपया ऊपर की छत का, रूफ का दे दीजिये तो आप चाहे बारह छतें बना लीजिये और कोई तोड़ी नहीं जाती। वहां पर इंसपेक्टर क्या करते हैं, वहां पर जे०ई० क्या करते हैं वहां पर एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या करते हैं? महोदय, मैं राज्य सभा की हाउस कमेटी

[श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल]

का दो साल चेयरमैन रहा । अगर मैं यह शब्द इस्तेमाल करूं कि मैं सर पटक कर मर गया पर मेरे अपने घर में, जिसमें मैं रहता हूं, आफिशियल बंगले के अन्दर व्हाइट वाशिंग टीक नहीं करा पाया । जब यह बात है तो मुझे किसी दूसरे के बारे में क्या कहना । मैंने वहां पर यह रेज किया, हाउस कमेटी के चेयरमैन के नाते कि जिस घर में, जिस किसी एम०पी के घर में या बंगले के अन्दर कलई या व्हाइट वाशिंग की जायेगी, जब तक उसके सस्टिस्फैक्शन का आपको सर्टिफिकेट न मिले, तब तक आप पेमेंट न हो। दो साल में उसको पास करवाना तो दूर रहा मैं उसको आगे नहीं चला सका क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने उसको आगे नहीं बढने नहीं दिया। आज आप किसी भी बंगले में इंस्पेक्शन करवा लीजिये, सब-स्टेंडर्ड मैटीरियल लगा हुआ है । इस वक्त हमारा यह सबजेक्ट नहीं है लेकिन ये बातें इसलिये मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि हम एकड़ों के बैंगलों में रहते हैं। जिन बंगलों में हम रहते हैं अगर उनकी कीमत लगायी जाये तो वह करोड़ों रुपये की जायदाद है । लेकिन ये जो बंगले हैं ये आउट-डेटेड हैं ही साथ ही उनका मेंटेनेंस भी पुवर है । आनरेबल मेंबर आफ पार्लियामेंट जिन घरों में रहते हैं, वह उनके रहने लायक नहीं हैं । इसके कारण यहां पर करप्शन है ।

महोदय, मैं एक दो छोटी-छोटी बातें कहकर, अपनी बात खत्म करूंगा । आपने दिल्ली के अन्दर असेंबली दी । उसमें एम०एल०ए० चुनकर आयेंगे । जब एम० एल०ए० चुनकर आ गये तो, शायद आपने इंगित किया है लोक सभा में या कहीं और जगह पर कि आप पांडिचेरी में जो एम०एल०ए० हैं उनको प्रेसीडेंट आफ इंडिया का जब इलेक्शन होगा तो उनको वोटिंग राइट होगा । मैं चाहता हूं कि यह यहां पर भी इनकारपोरेट कर लिया जाना चाहिये और यहां के एम० एल० ए० को भी प्रेसीडट आफ इंडिया के इलेक्शन में वोटिंग राइट होना चाहिये । बाकायदा जैसे और स्टेट असेंम्बली में मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार है, वैसा ही इनको भी अधिकार दिया जाय ।

एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी अफजल साहब ने डीलिमिटेशन की बात कही । डीलिमिटेशन 1991 की सेंसस के अनुसार होना चाहिये । मुझे पता चला है बुरा नहीं मानेंगे, बी०जे०पी० का यह स्टैंड है कि 1981 की सेंसस का मानकर डीलिमिटेशन किया जाये । मैं अपने बी०जे०पी० के आनरेबुल कुलीग से यह कहूंगा कि हमें आगे की बात करनी चाहिये, हमें पीछे नहीं जाना चाहिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: हम एग्री करते हैं ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : अगर एग्री करते हैं तो ठीक है । हम डीलिमिटेशन अगर 1981 के बेसिस पर करेंगे तो दैट विल नाट बी ए रियल डीलिमिटेशन ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: हम मान गये हैं । ... **(व्यवधान)** ... हम नहीं चाहते कि इसका बहाना बनाकर चुनाव में देर की जाये । इसके बहाने चुनाव में देर नहीं होनी चाहिये

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैं चव्हाण साहब आनरेबुल होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि लोगों का ख्याल है कि जहां डीलिमिटेशन होता है वहां पर 23 साल लग जाते हैं और उन सालों की वजह से कहीं जो इलेक्शन आपने 6–8 महीने के बाद करने का कहा है वह आगे न हो जाये । यह काम फास्ट स्पीड पर जल्दी करवा कर इमीडियेटली डिलिमिटेशन करवा ली जाये, जरूर करवा ली जाये, इलेक्शन से पहले करवा ली जाये और 1991 के सेंसस के मुताबिक करवा ली जाय लेकिन इसको लेट नहीं किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आनर करते हैं । जैसे पंजाब के लिये आप इतनी कोशिश कर रहे

हैं । 15 फरवरी जरूर कहा गया है लेकिन उसके पहले चुनाव करवाने की आपकी कोशिश है । इसी तरह 6–8 महीने की बात आपने जरूर कही है लेकिन इसको जितनी जल्दी करवा लें तो उतना अच्छा है क्योंकि आज स्थिति यह है कि जैसे दिल्ली में किसी का राज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस स्थिति को समाप्त करने के लिये, रेमेडी के लिये जरूरी है कि यहां पर जल्दी से जल्दी असेम्बली बनाई जाये । डिलिमिटेशन के सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहूंगा । किसी वक्त में दिल्ली सिर्फ चांदनी चौक दिल्ली थी । जब दिल्ली कहा जाता था तो इसका मतलब था चांदनी चौक । चांदनी चौक भी अपने टाइम में वेल प्लांड था । जैसे आज है वैसे नहीं था, सिकन्दर बख्त साहब बैठे हैं । लेकिन आज रूरल दिल्ली भी है, अरबन दिल्ली भी है । रूरल दिल्ली की अपनी समस्यायें हैं और अरबन दिल्ली की अपनी समस्यायें हैं । जब डिलिमिटेशन करना हो तो झुग्गी झौपड़ी और स्लम्स को भी हटाना होगा । आज की तारीख में चाहे वह कांग्रेस का एम०पी० हो या बी०जे० पी० का एम०पी० हो या जनता दल का एम०पी० हो वह अपने इलाके में झुग्गियां बसवाता है और इसलिये बसवाता है कि एक बहुत बड़ी चार पांच सौ गज की कोठी हो तो उसमें से दो वोट निकलते हैं, वह भी धकेल कर के निकालने पड़ते हैं लेकिन एक झुग्गी में 8–10 वोट निकलते हैं, बड़ी आसानी से निकलते हैं, बड़े आराम से निकलते हैं । इसलिये वह वहां से झुग्गियां नहीं हटने देते हैं, झुग्गियां वहीं रहती है । उसका क्या नुकसान हो रहा है कि

Delhi is fast becoming a slum

उनको किसी भी ढंग से उठाकर के बाहर भेज दिया जाये । सवाल इस बात का नहीं कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, बी०जे०पी० जीतेगी या हारेगी, सवाल यह है कि दिल्ली को सुन्दर कैसे बनाया जाये । इसलिये डिलिमिटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये खास तौर से रूरल और अरबन एरियाज के जो इंट्रेस्ट हैं उनको पूरी तरह से वाच किया जाय । डिलिमिटेशन के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज इस बात की कोशिश करेंगी कि ऐसे ढंग से कांस्टीट्युंसीज बनाई जायें जिससे मैं अपने इलाके में जीत जाऊं बाकी चाहे भाड़ में चले जायें । इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी यह बिल लाये हैं ।

श्री राम नरेश यादव : (उत्तर प्रदेश) : झुग्गी झोंपड़ी वालों को रिहेबिलिटेट करने के लिये भी कहिये न ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : उजाड़ने का मेरा बिलकुल मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को यदि उठा कर बाहर ले जायें तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाये । इसके साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज एक इलाके में सौ झुग्गियां हैं तो वहां सवा सौ झुग्गियां क्यों हो जाती हैं । जिस इलाके में झुग्गियां हैं अगर उस इलाके में सौ झुग्गियों से एक सौ एक झुग्गियां हो जाती हैं तो उस इलाके के इंस्पेक्टर को कहा जाय कि यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी खाल उधेड़ दी जायेगी । इस लिये यह बहुत जरूरी है कि झुग्गियां न बढ़े और उनको रिहेबिलिटेट किया जाये । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Members, there are about 12 speakers listed on the Bill and about 65 amendments. So, looking at the clock it does appear that we will be crossing. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAM AWADESH SINGH (Bihar): It will go upto 12 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you willing to sit?

SHRI RAM AWADESH SINGH: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is all right. (*Interruptions*)...

[Shri Bhaskar Annaji Masodkar]

I just want to have the sensse of the House. If we are going to work beyand 8 o'clock... (*Interruptions*) ...

श्री राम अवधेश सिंह: यह सदन रात के ढाई बजे तक बहस करता रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just listen. If we are going to work beyond 8 o'clock some arrangements will have to be made for dinner because it is an important occasion that we are giving a new status to Delhi. I will have to request the Government. .. (*Interruptions*) ...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S. B. CHAVAN): I don't think it will go beyond 8 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If it is going beyond 8 o'clock, the Government will have to be requested.

SHRI S. B. CHAVAN: We can make arrangements. First we will complete the business and then we will go for dinner.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is for the House to accept what the Leader of the House is saying.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Thank you for giving me an opportunity to speak. We are happy that after a long period the aspirations and demands of the democratic people of Delhi have gone to the ears of the administrators. A demand which was raised by all sections of the people of Delhi, our party has had a dream about it. They have been agitating for it for long. Successive Governments have given assurances. For several years there was no Government elected by the people of Delhi for the purpose of Delhi. Now that aspiration is likely to be fulfilled. What I feel is that the powers that have been given in the Bill to the Lieutenant Governor are disproportionate to the powers that should normally come to an elected body of the State that is going to be constituted. If that be so, there will be duality, there will be conflict as to who should exercise more economic powers as far as the administration is concerned. That is why we feel that the elected body should be given more power than the appointed Lieutenant Governor. Another point that comes to our mind is, 70 seats have been decided for the Assembly to be elected. This, I feel, is not proportionate to the population that the city of Delhi has got over a period of years. If proportion of population and constituencies in a number of cities of other States is done, then my rough calculation indicates that Delhi should have nearly 85 Assembly seats. So, I request that this part of the Bill which is being brought about may be amended and that 70 may be raised to 85 or so, so that the people of Delhi can get their proportional representation, because over the years it has gone up. For the purpose of voting rights, it should be the determining factor. There is some hesitation in the Bill to say that the 1991 census will be the basis for the electoral roll. I think the Government should not have a double mind on that question. Having brought this issue, all sections of the House will be giving greetings to the Government. Let the 1991 census be adopted as the basis for the elections of Delhi. I want that this small amendment may be done. With this, I, on behalf of my party, welcome the Bill.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1991 का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, दिल्ली एक ऐतिहासिक राजधानी है। कितनी बार बनी और कितनी बार उजड़ी। 1646 के पहले यह सात बार बनी और सात बार

उजड़ी ; उपसभाध्यक्ष महोदय, आज से 80 साल पहले 12 दिसम्बर, यही दिसम्बर का महीना था, 1911 को ब्रिटिश किंग जार्ज फिफथ और क्वीन मेरी यहां पर आये और उन्होंने इस 6.00 P.M. शहर को बसाया । यहां से राजधानी वापिस ले जाने के लिये और वापिस ले आने के लिये कई फैसले हुए । पर जब से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की यहां राजधानी बनाई गई, तब से यह बिन चला आया और जब से हमारा देश आजाद हुआ, यह पक्की तौर पर हमारी राष्ट्रीय राजधानी बन गई ।

समय-समय पर लोगों ने हर तरह के विचार उछाले, पर हर चीजों को मद्देनजर रख कर यह राष्ट्र की राजधानी बनी रही । उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां कोई भी भारतीय नागरिक आकर गर्व महसूस करता है और कोई भी विदेशी आकर सारे भारत को एक स्थान पर पाता है । यहां ऐसी कालोनीज हैं, ऐसे नगर हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहां भारत का एक एक रूप, भारत का एक-एक राज्य पनप रहे है और एक-एक राज्य वहां सामने राज्य का रूप देने जा रहे हैं और उस राज्य को रूप देने के लिये यह विधेयक लाया गया है । मुझे याद आता है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे संप्रदाय से आता हूं, जिस संप्रदाय की बहुत बड़ी कुर्बानी दिल्ली शहर के साथ जुड़ी हुई है, भारत माता की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है ।

लाल किले के सामने खड़े होकर जब सीस गंज की मीनार दिखाई देती है, तो गुरू तेग बहादुर की याद आती है और उस गुरू तेग बहादुर की याद के साथ-साथ हमारे पूर्व पुरुषों का बनाया हुआ संविधान याद आता है जिसके माध्यम से हमें धारा 25 मिली हुई है और यह गुरू तेग बहादुर की कुर्बानी की एक निशानी है, जिसके माध्यम से हमें मौलिक अधिकार, अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार करना और हमारे धर्म को संजो कर रखना, इसका अधिकार मिलता है ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत लम्बे इतिहास में न जाते हुये, इस बिल पर आता हूं । विधेयक के खंड 3 के भाग 2 में निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजित करने की बात कही गई है—डीलिमिटेशन । यह विभाजन 1991 की जनसंख्या के आधार पर होगा । परन्तु महोदय, संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन निर्वाचित क्षेत्रों, राज्यों के विभाजन के लिये सन् 2000 ई० तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों को फ्रीज किया गया है, यानी डीलिमिटेशन के लिये 1971 के आंकड़े सन 2000 वैध होंगे, लेकिन दिल्ली के लिये आंकड़े 1991 के रखे जायें, यह संविधान के दो अनुच्छेदों के समान नहीं रहने देगा ।

क्या सरकार ने इसकी जांच कर ली है ? यदि न्यायालय में इस विरोधाभास की चुनौती दी जायेगी, तो उस दशा में सरकार क्या करेगी?

दिल्ली से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार दिल्ली की विधान सभा को संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सेकी की एंट्री (1) लोक सेवा व्यवस्था, (2) पुलिस, और (18) भूमि के बारे में कानून नहीं बना सकेगी तथा इससे संबंधित अपराध विरुद्ध अपराध तथा उच्च तथा अन्य न्यायालयों तथा यहां की फीस के बारे में भी कानून नहीं बना सकेगी ।

इस प्रकार विधान सभा के पास कानून बनाने के लिये क्या रह जायेगा ? तथा इन विषयों से संबंधित विभाग किसके पास रहेंगे—केन्द्रीय सरकार के पास या राज्य सरकार के पास रहेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

महोदय, इस विधेयक के अनुसार दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । तथा वह अपने पदम पर राष्ट्रपति की इच्छा से बने रहने तक रह पायेंगे । यहां उप-राज्यपाल को इस अधिकार से वंचित रखने का क्या कारण है? अगर उप-राज्यपाल को

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

यह अधिकार नहीं देना था तो उप-राज्यपाल का पद रखा ही क्यों ? राष्ट्रपति केन्द्र में मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं, पर दिल्ली तथा केन्द्र में विपरीत सरकार स्थापित अगर हो गई तो उस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली की सरकार जो भी बात कहना चाहेगी और केन्द्र में दूसरी सरकार होगी तो अगर समन्वय नहीं होगा तो दिल्ली सरकार का प्रकाश था दिल्ली का विकास कैसे होगा ? अगर दो सरकारें दो जगह होंगी ? तो आप दिल्ली राज्य को पूरे अधिकार नहीं दे रहे हैं दिल्ली में केन्द्रीय कानून के तहत दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। इनकी व्यवस्था के बारे में यह विधेयक खामोश है; उपसभाध्यक्ष महोदय; इसके बारे में क्या विचार है? क्या दिल्ली की विधान सभा इनसे संबंधित कानूनों में परिवर्तन कर सकेगी ? अगर नहीं कर सकेगी तो क्यों ।

श्री आर० के० धवन (आंध्र प्रदेश) :

यह तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। The Council of Ministers will decide.

SHRI S. S. AHLUWALIA: The Council of Ministers will have to discuss with the Home Minister.

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अहलुवालिया जी, you know the time is running out.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : केन्द्र सरकार वर्तमान में जो दूध, परिवहन, खाद्य पदार्थ आदि में दिल्ली में लोगों को सबसिडी दे रही है, क्या उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी या केन्द्र सरकार से ही मिलता रहेगा, यह बताने की कृपा करेंगे ?

उसके साथ,साथ; उपसभाध्यक्ष महोदय; बड़े अफसोस की बात है कि हम दिल्ली में राजभाषा के बारे में बहुत प्रचार करते हैं और हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री राजभाषा परिषद के अध्यक्ष हैं'

श्री एस०बी० चव्हाण : अभी तो नहीं.. **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उनके तहत, उनके गृह विभाग के तहत ही राजभाषा का विभाग चलता है इसमें 35 धारा के "ग" म आदेश नियम, विनियम और उपविधि विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गये उन सभी के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे । उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें विरोध है । अंग्रेजी भाषा में क्यों होंगे ? हमारे देश की राजभाषा, राजभाषा, हिन्दी है और दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जहां मान्यता प्राप्त है । दिल्ली में हिन्दी, उर्दू, गुरुमुखी और अंग्रेजी, अंग्रेजी का नाम चौथा आता है, पर यहां अंग्रेजी को मान्यता एक नम्बर पर दी गई है और दूसरी मान्यता किसी की है ही नहीं । मैं इसका विरोध करता हूं, इस जगह; उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार को इस पर गौर फर्माने की जरूरत है । दिल्ली में आप राजधानी का एक विधेयक ला रहे हैं और आप अपनी राष्ट्रभाषा को ही भूले जा रहे हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं यह कहता हुआ अपना विरोधाभास भी प्रकट करता हूं इस बारे में, पर मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूं... **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : फिर विरोधाभास क्यों, विरोध प्रकट करते हो।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं कि लोक सभा का सदन उठ गया है और मैं, इस विधेयक को लंबित नहीं करना चाहता, पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा और मैं समझता हूं कि इस सदन के स भी सदस्य

इसका समर्थन करेंगे कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होनी चाहिये ।

धन्यवाद ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, जिन्दगी एक अजीबोगरीब चीज है । उसका लाजिक से, मंतिक से कोई संबंध नहीं है । सियासत इस सिलसिले में और भी ज्यादा उलझी हुई है । बुलअजबी यह है, विडंबना यह है कि मैं इस बेदस्तोपा बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । I have taken the floor to support a limp Bill.

मैं अगर बिल के एक-एक क्लाज को लेकर बात शुरू करूं तो बात बहुत लंबी होगी और मुझे बहुत ज्यादा अपनी आवाज सुनने का शौक नहीं है । सदर साहब, मैं कुछ बुनियादी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं । हो सकता है कि यह समझा जाय कि मैं मौजू से हट गया हूं । मुझे खुशी है कि हंसपाल जी वापिस हाउस में आ गये हैं क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि हम अतीत में जाने की बहुत कोशिश करते हैं । मेरी गुजारिश यह है कि अगर हम आगे जाने के लिये कदम उठाने शुरू करें, मुस्तकबिल की तरफ जाने के लिये और अतीत पर हमारी नजर न हो तो हमारे कदम की दिशा क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है । मैं, जैसा कि अर्ज किया कुछ बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं आम तौर पर इस फैशननेबल स्वीपिंग रिमार्क में कभी नहीं पड़ना चाहता जो कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में आम तौर पर लगाया जाता है, लेकिन मुझको दुख और दर्द है कि एक जेहन बना दिया गया है 45 सालों में कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, इसलिये दिल्ली को पूरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता । हमारे अजीज दोस्त अभी जिक्र कर रहे थे कि यह होगा कि तो कामयाबी के साथ केन्द्रीय सरकार फलां काम नहीं कर सकेगी । जिस चीज को सामने रखकर अहलुवालिया साहब ने बात कही है, वह रिश्ता तो केन्द्र का हर सूबे से, हर प्रांत की सरकार से है । सिर्फ इसलिये है कि केन्द्रीय सरकार के दफ्तर दिल्ली में स्थित हैं । इस लिये यहां दो सरकारों का जिक्र किया जा रहा है । मुझे अफसोस है कि इस जिक्र को दलील बनाने का सबसे बड़ा गुनाह, दलील बनाने की शिकायत मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के संबंध में कर सकता हूं । कोई मायने नहीं हैं, मैं उन तफसीलात में जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी जिन तफसीलात का जिक्र एक-एक चीज को लेकर हंसपाल जी कर रहे थे । दिल्ली तो तबाह है इस वक्त । इसमें सबसे बड़ा गुनाह जो किया गया है, यह दो सरकारों के तसब्बुर का गुनाह जो है; यह क्या है कि आप अरसे से दिल्ली के लोगों को फ्रेंचाइज के हक से वंचित रत्न रख रहे हैं । आप हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ जाकर दिल्ली वालों से दिल्ली का हक छीनते रहे हैं । दिल्ली वालों को राय देने का हक नहीं है । दिल्ली वालों को मेट्रोपोलिटन कांउसिल आपने दी, कोई मतलब ही नहीं था । एक डिबेटिंग सोसायटी था । वह आप से पहले कोई कानून बनाते थे, आप यहां कानून बना लेते थे, बजट आप यहां पास करते थे, आपके यहां पास करने से पहले वह बजट पर बहस करते थे और जो कुछ आप करते थे, उसका उस बहस से कोई ताल्लुक नहीं होता था । सब कुछ उल्टा था । यह बिल भी दिल्ली वालों को मुकम्मल फ्रेंचाइज का हक नहीं दे रहा है और यह गैर-आईनी बात है । It is unconstitutional.

आज भी इस बिल के अन्दर जिक्र नहीं है कि दिल्ली की एसेंबली पर उनको हक होगा । हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कालिज में हिस्सा लेने का; उनका कोई वोट नहीं है । यह जो बदकिस्मती है; मैं शिकायत कर रहा हूं कि 45 बरस से आपने दिल्ली को लटका कर रखा है और जिसके लिये कोई कोंजिट रीजन; कोई सबब आज तक कोई दे नहीं सका है । दो सरकारों की लाजिक मैं नहीं मानता । केन्द्रीय सरकार का रिश्ता दिल्ली से वही होना चाहिये; जो किसी

[श्री सिकन्दर बख्त]

भी सूबे की सरकार से है, किसी भी सूबे से है । यह दो सरकारों की लोजिक कहां से आकर मुस्तकि एक जगह हासिल कर चुकी है ? मैं जानता नहीं ।

एक बात, मुझे ख्याल नहीं इस वक्त शायद होम मिनिस्टर साहब के बयान में आई थी, जो कल बात हुई थी कि केन्द्र सरकार दिल्ली को इतना पैसा देती है, बगैरह-बगैरह, डवलपमेंट के काम रुकेंगे, फलां होगा, फलां होगा । बदकिस्मती है, पैसा देती है तो देना चाहिये, देने के बाद दिल्ली के लोगों की अख्तियारात को खरीदा तो नहीं जा सकता । केन्द्र की सरकार पैसा हर सूबे को देती है तो क्या उसी तरीके से उन सूबों के लोगों को भी खरीदा जा सकता है, जिस किस्म की खरीद-दारी दिल्ली के लोगों के साथ की जा रही है ?

वाइस चेयरमेन साहब, दो-चार मोटी-मोटी बातें और कहूंगा । आपने मल्टीप्लिसिटि आफ अथोरिटीज का जिक्र किया है । तवज्जुह नहीं है सरकार की । केन्द्र सरकार के हाथ में मामला है और आज भी वर्षों के बाद यह लंगड़ी-लूली स्टेट असेम्बली दी गई है । इस अर्से में क्या किया गया है ? आपने मल्टीप्लिसिटि आफ अथोरिटीज का जिक्र किया है । एक सबजेक्ट पर डील करने वाली सात अथोरिटीज हैं । इनकी लाईन आफ डिमार्केशन कहीं है ही नहीं । जाकर आप किसी से पूछो कि तुम्हारा काम, कारोबार जमीनों से मुत्तलिक कहां खत्म होता है ? आप कारपोरेशन से पूछो – तुम्हारा कहां खतम होता है, कहां से शुरू होता है ? आप लेंड एंड डवलपमेंट के आफिस से पूछो– तुम्हारा कारोबार कहां शुरू होता है, कहां खतम होता है ? नई दिल्ली म्युनिसपल कमेटी, वगैरह-वगैरह से पूछो । जमीनों से मुत्तलिक हर काम में देरी की जिम्मेदारी उन तमाम तरकीबों से है, जिसको कि दिल्ली के ऊपर केन्द्र की सरकार लादती रही है ।

एक आर्गेनाइजेशन है आपकी अर्बन आर्टस कमीशन । बड़ी लंबी-लंबी बात की थीं उसमें, जब लाये थे उसको बिल बनाकर और एक्ट बनाया गया था । मगर अर्बन आर्टस कमीशन में कौनसे गैरमामूली काबलियत रखने वाले लोगों की नियुक्ति की गई? वही इंजीनियर्स, जो पी०डब्लू०डी० में हैं या दूसरे कारपोरेशन में हैं, उसी किस्म के इंजीनियर्स को वहां जाकर रख दिया । अर्बन आर्टस कमीशन का मकसद ही कुछ नहीं । अगर अर्बन आर्टस कमीशन में उस किस्म के इंजीनियर्स होते, जिस किस्म के इंजीनियर्स की काबलियत या जिस किस्म के इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन उन तमाम इंजीनियर्स से मुखतलिफ होती, जो दिल्ली की जमीनों से ताल्लुक रखने वाले किसी भी महकमें के पास हैं तो मैं समझता कि वाकई ये लोग कुछ नई बात बता सकते हैं, सिवा इसके कि रुकावटें रास्ते में पैदा की जायें ।

सदर साहब, लीज सिस्टम का अभी यहां हमारे एक अजीज साथी ने जिक्र किया कि बहुत अच्छा किया, जो आप ने जमीनों का मामला अपने पास रख लिया । जब यहां लीज सिस्टम इंटरोड्यूस किया गया था तो इसलिये किया गया था ताकि यहां के जो कलोनाइजर्स हैं, वे दिल्ली में जमीनों को डवलप कर दिल्ली के लोगों को एक्सप्लायट न करें, दिल्ली की जमीनों की कीमतें ऊपर न जायें । जमीनों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लीज सिस्टम इंटरोड्यूस किया गया था । आज जमीनों की कीमतें कहां हैं ? किधर हैं आसमान को जा लगी हैं । आज तो यहां सोचना मुश्किल हो गया है कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश– है, में पर मीटर क्या कीमत है, उसका जिक्र भी करते हुए भयानक लगता है, अजीब सा लगता है । . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : रूह काँप जाती है ।

श्री सिकन्दर बख्त : हां समझ में नहीं आता कि अगर एक गज जमीन 50-60 हजार रुपये खर्च करके दिल्ली में खरीदी जा सकती है तो केन्द्रीय सरकार जमीनों का कारोबार चलाने में कितनी कामयाब है ? सोचा नहीं जा सकता ।

अब यहां ब्यूरोक्रेसी की एक बात कर दूं । मेरा जो थोड़ा वक्त गुजरा यहां केन्द्र की सरकार में, 1977 और 1979 के बीच में, तो जो जिम्मेदारियां डाली गई थीं उन मंत्रालयों पर, जिस पर कारोबार देखने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई थी उसमें । बहुत अच्छे सेक्रेटरीज थे, ईमानदार थे, एफिसियेंट थे, लेकिन जेहन में कुछ उसी ब्यूरोक्रेसी का यह था कि यह बेपढ़ा-लिखा आदमी आकर अपनी राय को हमारी राय के ऊपर इम्पोज करने का क्या हक रखता है और गरीब इमपर्टिनेंस और एरोगेंस है । लीज-सिस्टम के बारे में मैंने, हाऊसिंग मिनिस्टरी कहलाती थी उस वक्त और अब अर्बन मिनिस्टरी है, आफिसर्स खिलाफ थे कि लीज सिस्टम को खतम किया जाय, आफिसर्स की एक कमेटी बना दी । · · · मैंने कहा कि आप आजादी के साथ अपनी राय लायें । राय लेकर आ गये । मुखालिफत की कि लीज सिस्टम खत्म होगा तो दिल्ली वालों को रिवेन्यू का बड़ा नुकसान हो जायेगा । मैंने उनके कहे आरग्यूमेंटस को लिया और उनके खिलाफ दलील देकर और यह दलील खास तौर से दी कि लीज सिस्टम रिवेन्यू अर्न करने के लिये नहीं किया गया था, उसका केवल एक मकसद था कि दिल्ली में जमीनों की कीमत को कंट्रोल किया जाय । मैंने उस पर नोट चढ़ाया और सैकेटरी साहब को कहा कि आप कैबिनेट के लिये एक नोट बना लाइये, मैं शुरू करना चाहता हूं कि 300 गज और 300 गज से के नीचे की जमीनों की लीज को उठा दिया जाय । एक महीना गुजर गया, दो महीने गुजर गये । मैंने बुला कर सैक्रेटरी साहब से पूछा कि वह नोट कहां है ? उन्होंने कहा कि 'Sir, I am sorry I have sent the file to the Finance Ministry'. मैं खड़ा हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर का इससे ताल्लुक क्या है ? उसने कहा कि सर मैंने सोचा कि आपकी बदनामी न हो जाये । अब वह सैक्रेटरी साहब मेरी बदनामी और मेरी नेकनामी के मुहाफिज बन गये । ठेकेदार का लफ्ज जरा सख्त है, मैं मुहाफिज की बात करता हूं । मेहरबानी है, इतना भी सोचा उन्होंने, लेकिन ज्यादती थी । मैं यह बताना चाह रहा हूं कि यह जो जेहन है और फिर अब ब्यूरोक्रेटस से माफी मांगकर कहना चाहता हूं कि यह जो ब्यूरोक्रेटस ने जेहन बना रखा है कि अगर कहीं दिल्ली में असेम्बली बन गई तो दिल्ली के जिन-जिन एरियाज पर हमारी हुकूमत चल रही है, दिल्ली के जिन-जिन नागरिकों की गर्दन हमारे हाथ में है, वह गर्दन हमारे हाथ से निकल जायेगी । हालांकि मैंने यह कहा है कि गवर्नमेंट वही कामयाब है जिसके एरियाज आफ फंक्शन कम से कम हों वही एफिशियेंट गवर्नमेंट हो सकती है । तो वह लीज सिस्टम के बारे में जो मैंने कहा था, वह मेरा नोट खुदा जाने कहां गया, अब 12-13 बरस हो गये, उसका कहीं अता-पता नहीं है ।. . (समय की घंटी) . . मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास कोई ज्यादा कहने की बात नहीं है ।. . . (व्यवधान) . .

सदर साहब, मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मुझे ब्यूरोक्रेसी पर सियासी फैशन की सामने रखते हुये कोई इल्जाम नहीं लगाना, लेकिन यह बात है कि ब्यूरोक्रेसी ने हिन्दुस्तान में, दिल्ली में, चाहे केन्द्र में किसी की भी सरकार हो, केन्द्र की सरकार के जहन को गलत रास्ते पर डालकर और इतना ज्यादा गलत रास्ते पर डाल दिया है कि आज

[श्री सिकन्दर बख्त]

यह बात दलील बन गई है कि दिल्ली में दो सरकारें नहीं हो सकतीं। बुनियादी बात की तरफ किसी की तवज्जो जाती ही नहीं कि इन 45 सालों में कितने अरसे तक दिल्ली के लोगों का यह फ्रीनचाइज का हक छीने रखा? मैट्रोपोलिटिन काउंसिल दी तो लंगड़ी दी, कोई मतलब नहीं। दिल्ली के लोगों को कोई फ्रीनचाइज का हक नहीं मिला। दिल्ली वाले अपने फाइनेंस पर बहस करने का हक नहीं रखते थे। मैं इसको बहुत लंबा कर सकता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर दिल्ली को फुल-फलैज असेम्बली न देना, दिल्ली के लोगों को डिफ्रीनचाइज रखना उसकी साजिश है, क्षमा करें मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सदर साहब, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि 7 साल के बाद जितना लाये हैं वह भी बड़ी गनीमत है, लेकिन माफ कीजिये, होम मिनिस्टर साहब से माफी मांग रहा हूं, कुछ नहीं लाये हैं। दिल्ली वालों को जो मुकम्मिल हक मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला है। इस बिल के एक-एक क्लाज को लेकर मैं कहां बातें करूं। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि साहब जो हिन्दी का मामला अहलुवालिया साहब ने उठाया है, बदकिस्मती से हमने हिन्दी और अंग्रेजी को एक ऐसे दायरों में डाल दिया है। एक जमाने में यह कहा जा रहा था कि हिन्दी में बात इसलिये नहीं की जा सकती कि हमारे साउथ के रहने वाले लोग मुश्तबा हैं, इस शुबहे में हैं कि ये लोग अगर हिन्दी को डाल देंगे तो हमारा क्या होगा, जो दिल्ली में रहने वाले हैं? वह जहन बनाना गलत है। किसी को हाथ में हंटर लेकर किसी दूसरी जबान को किसी पर थोपने का हक नहीं है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा, मोअद्बाना अर्ज करूंगा कि दिल्ली के फेडरल सैट-अप को अगर कायम रहना है तो इस फेडरल सैट-अप को बांधे रखने के लिये कोई एक बात हमारे राष्ट्रीय जीवन में आनी चाहिये और वह बांधे रखने की बात राष्ट्रभाषा है, हिन्दी है, उसको हम जितनी जल्दी पहचान लें, बेहतर है।

شری سکندر بخت "مدھیہ پردیش: صدر صاحب۔ زندگی ایک عجیب و غریب چیز ہے اس کا لوجک سے منطق سے کوئی سمبندھ نہیں ہے۔ سیاست اس سلسلہ میں اور بھی زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ بوالعجبی یہ ہے۔ وڈمبنا یہ ہے کہ میں اس بے دست و پا بل کی تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں)۔

I have taken the floor to support a limp Bill.

میں اگر بل کے ایک ایک کلاز کو لے کر بات شروع کروں تو بات بہت لمبی ہوگی اور مجھے بہت زیادہ اپنی آواز سننے کا شوق نہیں ہے۔ صدر صاحب میں کچھ بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے

[ ] Transliteration in Arabic Script.

صرف اس لیے ہے کہ کیندریہ سرکار کے دفتر دلّی میں استھت ہیں۔ اس لیے یہاں دو سرکاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ذکر کو دلیل بنانے کا سب سے بڑا گناہ۔ دلیل بنانے کی شکایت میں صرف بیوروکریسی کے سمبندھ میں کر سکتا ہوں۔ کوئی معنی نہیں ہے۔ میں ان تفصیلات میں جاؤں گا تو صبح ہو جائیگی جن تفصیلات کا ذکر ایک ایک چیز کو لے کر ہنسپال جی کر رہے تھے۔ دلّی تو تباہ ہے اس وقت۔ اس میں سب سے بڑا گناہ جو کیا گیا ہے۔ یہ دو سرکاروں کے تصوّر کا گناہ جو ہے یہ کیا ہے کہ آپ عرصہ سے دلّی کے لوگوں کو فرینچائز کے حق سے وںچت رکھ رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کے آئین کے خلاف جا کر دلّی والوں سے دلّی کا حق چھینے رہے ہیں۔ دلّی والوں کو رائے دینے کا حق نہیں ہے دلّی والوں کو میٹروپولیٹن کاؤنسل آپ نے دی۔ کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی۔ وہ آپ سے پہلے کوئی قانون بناتے تھے۔ آپ یہاں قانون بنا لیتے تھے۔ بجٹ آپ یہاں پاس کرتے تھے۔ اس کا اس بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ سب کچھ الٹا تھا۔ یہ بل بھی دلّی والوں کو مکمل فرینچائز کا حق نہیں دے رہا ہے اور یہ غیر آئینی بات ہے۔

It is unconstitutional.

کہ یہ سمجھا جائے کہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہنسپال جی واپس ہاؤس میں آ گئے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اتیت میں جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آگے جانے کے لئے قدم اٹھانے شروع کریں مستقبل کی طرف جانے کے لئے اور اتیت پر ہماری نظر نہ ہو تو ہمارے قدم کی دشا کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے میں۔ جیسا کہ عرض کیا۔ کچھ بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں عام طور پر اس فیشن ایبل سوپنگ ریمارک میں کبھی نہیں پڑنا چاہتا جو کہ بیوروکریسی کے بارے میں عام طور پر لگایا جاتا ہے لیکن مجھ کو دکھ اور درد ہے کہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے ۴۵ سالوں میں کہ دلی میں دو سرکاریں ہیں۔ اس لئے دلّی کو پوری اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے عزیز دوست ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ہوگا تو کامیابی کے ساتھ مرکزی سرکار فلاں کام نہیں کر سکے گی۔ جس چیز کو سامنے رکھ کر اہلووالیہ صاحب نے بات کہی ہے وہ رشتہ تو کیندر کا ہر صوبہ سے ہر پرانت کی سرکار سے ہے۔

ساتھ کی جا رہی ہے۔

وائس چیرمین صاحب۔ دو چار موٹی موٹی باتیں اور کہوں گا۔ آپ نے ملٹی پلسٹی آف اتھارٹیز کا ذکر کیا ہے۔ توجہ نہیں ہے سرکار کی۔ کیندر سرکار کے ہاتھ میں معاملہ ہے اور آج بھی ورشوں کے بعد یہ لنگڑی لولی اسٹیٹ اسمبلی دی گئی ہے۔ اس عرصہ میں کیا کیا گیا ہے۔ آپ نے ملٹی پلسٹی آف اتھارٹیز کا ذکر کیا ہے۔ ایک سبجیکٹ پر ڈیل کرنے والی سات اتھارٹیز ہیں۔ ان کی لائن آف ڈیمارکیشن کہیں ہے ہی نہیں۔ جا کر آپ کسی سے پوچھو کہ تمہارا کام۔ کاروبار زمینوں سے متعلق کہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ کارپوریشن سے پوچھو۔ تمہارا کہاں ختم ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ لینڈ اینڈ ڈویلپمنٹ کے آفس سے پوچھو۔ تمہارا کام کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ نئی دہلی میونسپل کمیٹی وغیرہ سے پوچھو۔ زمینوں سے متعلق ہر کام میں دیری کی ذمہ داری ان تمام ترکیبوں سے ہے جس کو کہ دلّی کے اوپر کیندر کی سرکار لادتی رہی ہے۔

ایک آرگنائزیشن ہے آپ کی اربن آرٹس کمیشن۔ بڑی لمبی لمبی باتیں کی تھیں اس میں۔ جب لائے تھے اس کو بل بنا کر اور ایکٹ بنایا گیا تھا۔ مگر اربن آرٹس کمیشن آج بھی اس بل کے اندر ذکر ہیں ہے کہ دلّی کی اسمبلی پر ان کو حق ہوگا۔ ہندوستان کے راشٹرپتی اور آپ راشٹرپتی کے ایکٹورل کالج میں حصّہ لیتے ہیں۔ ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں شکایت کر رہا ہوں کہ ۴۵ برس سے آپ نے دلّی کو لٹکا کر رکھا ہے۔ اور جس کے لیے کوئی کوجسٹیفکیشن۔ کوئی سبب آج تک کوئی دے نہیں سکا ہے دو سرکاروں کی لوجیک میں نہیں مانتا۔

کیندریہ سرکار کا رشتہ دلّی سے وہی ہونا چاہیے جو کسی بھی صوبہ کی سرکار سے ہے۔ کسی بھی صوبے سے ہے۔ یہ دو سرکاروں کی لوجیک کہاں سے آ کر مستقل ایک جگہ حاصل کر چکی ہے میں جانتا نہیں۔

ایک بات مجھے خیال نہیں اس وقت۔ شاید ہوم منسٹر صاحب کے بیان میں آئی تھی جو کل بات ہوئی تھی کہ کیندریہ سرکار دلّی کو اتنا پیسہ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ڈیولپمنٹ کے کام رکیں گے۔ فلاں ہوگا۔ فلاں ہوگا۔ بدقسمتی ہے پیسہ دیتی ہے تو دینا چاہیے۔ دینے کے بعد دلّی کے لوگوں کے اختیارات کو خریدا تو نہیں جا سکتا۔ کیندر کی سرکار پیسہ ہر صوبہ کو دیتی ہے تو کیا اسی طریقہ سے ان صوبہ کے لوگوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ جس قسم کی خریداری دلّی کے لوگوں کے

کہ دلّی کے گریٹر کیلاش ٹو میں پرمیٹر کیا قیمت ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہوئے بھیانک لگتا ہے۔ عجیب سا لگتا ہے...

شری ستیہ پرکاش مالویہ: روح کانپ جاتی ہے۔

شری سکندر بخت: ہاں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر ایک گز زمین ۵۰۔ ۶۰ ہزار روپے خرچ کر کے دلّی میں خریدی جا سکتی ہے تو کیندریہ سرکار زمینوں کا کاروبار چلانے میں کتنی کامیاب ہے۔ سوچا نہیں جا سکتا۔

اب یہاں بیوروکریسی کی ایک بات کر دوں میرا جو تھوڑا وقت گذرا یہاں کیندر کی سرکار میں۔ ۱۹۷۷ اور ۱۹۷۹ کے بیچ میں۔ تو جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں ان منتراليوں پر جس پر کاروبار دیکھنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی اس میں۔ بہت اچھے سکریٹریز تھے۔ ایماندار تھے۔ ایفی سی اینٹ تھے۔ لیکن ذہن میں کچھ اسی بیوروکریسی کا یہ تھا کہ یہ بے پڑھا لکھا آدمی اگر اپنی رائے کو ہماری رائے کے اوپر امپوز کرنے کا کیا حق رکھتا ہے اور غریب امپارٹی ننس اور ایروگینس ہے۔ لینڈ سسٹم کے بارے میں میں نے ہاؤسنگ منسٹری کہلاتی تھی اس وقت اور اب اربن منسٹری ہے۔ آفیسرس خلاف تھے کہ لینڈ سسٹم کو ختم کیا جائے۔ آفیسرس کی ایک میں کون سے غیر معمولی لیاقت رکھنے والے لوگوں کی نیوکلی کی گئی ہے۔ وہی انجینئرس جو پی۔ ڈبلیو۔ ڈی۔ میں ہیں یا دوسرے کارپوریشن میں ہیں۔ اسی قسم کے انجینئرس کو وہاں سے جا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اربن آرٹس کمیشن کا مقصد ہی کچھ نہیں۔ اگر اربن آرٹس کمیشن میں اس قسم کے انجینئرس ہوتے جس قسم کے انجینئرس کی قابلیت یا جس قسم کے انجینئرس کی کوالیفیکیشن ان تمام انجینئرس سے مختلف ہوتی جو دلّی کی زمینوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی محکمہ کے پاس ہے تو میں سمجھتا کہ واقعی یہ لوگ کچھ نئی بات بتا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ روکاوٹیں راستے میں پیدا کی جائیں۔

صدر صاحب۔ لینڈ سسٹم کا ابھی یہاں ہمارے ایک عزیز ساتھی نے ذکر کیا ہے بہت اچھا کیا جو آپ نے زمینوں کا معاملہ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہاں لینڈ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہاں تک جو کونائزرس ہیں وہ دلّی میں زمینوں کو ڈیولپ کر کے دلّی کے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں۔ دلّی کی زمینوں کی قیمتیں اوپر نہ جائیں زمینوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لینڈ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ آج زمینوں کی قیمتیں کہاں ہیں۔ کدھر ہیں۔ آسمان کو جا لگی ہیں۔ آج تو یہاں سوچنا مشکل ہو گیا ہے

میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے۔ اور پھر اب بیوروکریٹس سے بھی معافی مانگ کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹس نے ذہن بنا رکھا ہے کہ اگر کہیں دلّی میں اسمبلی بن گئی تو دلّی کے جن جن ایریاز پر ہماری حکومت چل رہی ہے دلّی کے جن جن ناگروں کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ گردن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حالانکہ میں نے یہ سنا ہے کہ گورنمنٹ وہ ہی کامیاب ہے۔ جس کے ایریاز آف فنکشن کم سے کم ہیں۔ وہ ہی ایفیشیئٹ گورنمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ لینز سسٹم کے بارے میں جو میں نے کہا تھا وہ میرا نوٹ خدا جانے کہاں گیا۔ اب بارہ تیرہ برس ہو گئے ہیں اس کا کہیں اتا پتا نہیں ہے۔ ..." وقت کی گھنٹی"... میں ختم کر دوں گا۔ میرے پاس کوئی زیادہ کہنے کی بات نہیں ہے... "مداخلت"...

صدر صاحبہ۔ میں ہوم منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے بیوروکریسی پر سیاسی فیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی الزام نہیں لگانا۔ لیکن یہ بات ہے کہ بیوروکریسی نے ہندوستان میں۔ دلّی میں چاہے کیندر میں کسی کی بھی سرکار ہو۔ کیندر کی سرکار کے ذہن کو غلط راستہ پر ڈال کر اور اتنا زیادہ غلط راستہ پر ڈال دیا ہے

کمیٹی بنا دی... میں نے کہا کہ آپ آزادی کے ساتھ اپنی رائے لائیں۔ رائے لے کر آ گئے۔ مخالفت کی کہ لینز سسٹم ختم ہو گا تو دلّی والوں کو ریونیو کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کہے آرگیومینٹس کو لیا اور انکے خلاف دلیل دے کر اور یہ دلیل خاص طور سے دی کہ لینز سسٹم ریونیو ارن کرنے کیلئے نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا کیوں ایک مقصد تھا کہ دلّی میں زمینوں کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے۔ میں نے اس پر نوٹ چڑھایا اور سکریٹری صاحب کو کہا کہ آپ کیبنٹ کے لیے ایک نوٹ بنا لائیے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ۳۰۰ گز اور ۳۰۰ گز کے نیچے کی زمینوں کی لیز کو اٹھا دیا جائے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ دو مہینے گزر گئے میں نے بلا کر سکریٹری صاحب سے پوچھا کہ وہ نوٹ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ...

Sir, I am sorry I have sent the file to the Finance Ministry.

میں کھڑا ہو گیا کہ فائننس منسٹر کا اس سے تعلق کیا ہے اس نے کہا کہ سر۔ میں نے سوچا کہ آپ کی بدنامی نہ ہو جائے۔ اب وہ سکریٹری صاحب۔ میری بدنامی اور میری نیکنامی کے محافظ بن گئے۔ ٹھیکیدار کا لفظ ذرا سخت ہے۔ میں محافظ کی بات کہتا ہوں۔ مہربانی ہے اتنا بھی سوچا انہوں نے لیکن زیادتی کی،

کہ ہمارے ساؤتھ کے رہنے والے لوگ مشتبہ ہیں۔ اس شبہہ میں ہیں یہ لوگ اگر ہندی کو ڈال دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ جو دلّی میں رہنے والے ہیں۔ وہ ذہن بنانا غلط ہے۔ کسی کو ہاتھ میں ہنٹر لے کر کسی دوسری زبان کو کسی پر تھوپنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا۔ مؤدبانہ عرض کروں گا۔ کہ دلّی کے فیڈرل سیٹ اپ کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس فیڈرل سیٹ اپ کو باندھے رکھنے کے لیے کوئی ایک بات ہمارے راشٹریہ جیون میں آنی چاہیے۔ اور وہ باندھے رکھنے کی بات راشٹر بھاشا ہے۔ ہندی ہے۔ اس کو ہم جتنی جلدی پہچان لیں۔ بہتر ہے۔

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हाउस 9 बजे से ज्यादा चलने वाला हो तो, एम०पीज० के लिए नहीं कह रहा हूं, स्टाफ के लिए खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। यह मेरी गुजारिश है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : सब होगा, प्लीज।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) भोजन की व्यवस्था मत करिये, देश में बहुत समस्यायें हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Shri S. P. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अपसभाध्यक्ष जी . . . (व्यवधान)

کہ آج یہ بات دلیل بن گئی ہے کہ دلّی میں دو سرکاریں نہیں ہوسکتیں۔ بنیادی بات کی طرف کسی کی توجہ جاتی ہی نہیں کہ ان پینتالیس سالوں میں کتنے عرصہ تک دلّی کے لوگوں کا یہ فرنچائز کا حق چھینے رکھا۔ میٹروپولیٹن کاؤنسل دی تو لنگڑی دی۔ کوئی مطلب نہیں دلّی کے لوگوں کو کوئی فرنچائز کا حق نہیں ملا۔ دلّی والے اپنے فائیننس پر بحث کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ میں اس کو بہت لمبا کرسکتا ہوں۔ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر دلّی کو فل فلیجڈ اسمبلی نہ دینا۔ دلّی کے لوگوں کو ڈی فرنچائز رکھنا اس کی سازش ہے۔ اکثما کریں۔ میں سازش شبد کا استعمال کر رہا ہوں۔ صدر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ سات سال کے بعد جتنا لائے ہیں وہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن معاف کیجئے ہوم منسٹر صاحب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کچھ نہیں لائے ہیں۔ دلّی والوں کو جو مکمل حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے۔ اس بل کے ایک ایک کلاز کو لیکر میں کہاں باتیں کروں ابھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے۔ صاحب جو ہندی کا معاملہ جو آہلو والیہ صاحب نے اٹھایا ہے بدقسمتی سے ہندی اور انگریزی کو ہم نے ایسے دائروں میں ڈال دیا ہے۔ ایک زمانہ میں یہ کہا جارہا تھا کہ ہندی میں بات اس لیے نہیں کی جاسکتی

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I want to know whether you would like to speak now or at the time of moving the Amendments.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हां दोनों पर। That is my right. I cannot be deprived of my right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I am not depriving you. I am just giving you the option. Looking at the whole situation, I was putting it to you whether you want to make one speech or you would like to make two speeches, one in general now and then at the time of moving your Amendment.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी (व्यवधान)

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Sir, the hon. Members may consider that the speeches which are being made would have been relevant in the context of the Constitutional Amendment. That Constitutional Amendment was accepted yesterday and approved without any voice of dissent, without any discussion, without any debate. So far as this Bill is concerned, this Bill is only effectiuating the provisions of the Constitution. I do not understand why this criticism is being advanced today in this context of this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The Home Minister will take care of it.

श्री सिकन्दर बख्त : आपने कहा कि मुझे इससे इत्फाक है। ... (व्यवधान)

SHRI MADAN BHATIA: Having accepted the Constitutional Amendment in its entirety without any discussion, now they are raising all sorts of objections on the Bill which is only intended to effectuate the Amendment contained in the Constitutional Amendment Bill which has been approved unanimously yesterday by the entire House without any debate. I think, all this criticism is nothing but wastage of time of this hon. House.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It is highly objectionable. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Malaviyaji, please go ahead.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, इसमें एक बात है, देखिए। (व्यवधान)

डा. रत्नाकर पाण्डेय : सरकार की हर चीज को क्रिटिसिज्म करना आपका कर्म और धर्म है, क्योंकि आप विरोधी दल के रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : माननीय सदस्य श्री मदन भाटिया जी ने कहा, हम उसका विरोध कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन मदन भाटिया जी ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा है। यदि यही बात थी तो दोनों बिल को एक साथ लाते। कल हम लोगों ने, सबने कहा था, आज हम कन्स्टीट्यूट एमेंडमेंट बिना बहस के पारित

करते हैं। लेकिन दिल्ली के बारे में जो आप एडोप्ट करें, जहां तक भाषा का प्रश्न है, जब आप संसद हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को मानते हैं तो इसमें केवल अंग्रेजी में होगा। ... (व्यवधान) ... अगर इस बात को अहलुवालिया जी ने और सिकन्दर बख्त जी ने रखा है मैं समझता हूं कि क्या बुराई है ? इसलिए जो बात उन्होंने उसके साथ उठाई, तो कल दोनों लाते। ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down. I have not upheld his point of order. So....

श्री शंकर दयाल सिंह : उन्होंने गलत ढंग से इंटरप्रिटेट किया।

I have no objection for his interpretation.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Malaviyaji, I have already identified you. You please go ahead.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत दिनों से बात आ रही थी कि दिल्ली को ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just a minute. Mr. Jacob wants to make some announcement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, as suggested, I have made arrangements for Dinner as usual....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is a good celebration for Delhi, I believe.

SHRI M. M. JACOB: .... from 7.30 p.m. onwards.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये। इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जहां कुछ नहीं था तो कम से कम लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, यहां एक मंत्रिपरिषद् बनेगी और मुख्य मंत्री होंगे। पहले भी अंग्रेजों के जमाने में दिल्ली में केन्द्र सरकार का सीधा शासन था। लेकिन बाद में कंस्टीट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार दिया गया और उसी के अन्तर्गत दिल्ली में विधान सभा कायम हुई, मंत्रिपरिषद् कायम हुई और दिल्ली पार्ट-सी स्टेट कायम हुई। लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के अनुसार 1956 में दिल्ली विधान सभा समाप्त करदी गई और उसके बाद से लेकर आज तक बराबर इस मांग को रखा जा रहा है। लेकिन इसमें जो बालकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके पहले अध्यक्ष जस्टिस सरकारिया थे और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो मि० बालकृष्ण के नाम से एक समिति अप्वाइंट हुई। तो बालकृष्णन के नाम से एक समिति एपाइंट हुई। उसकी कुछ संस्तुतियों को माना गया है और कुछ को नहीं माना गया है। अभी सिकन्दर बख्त जी ने इस बात की चर्चा की, इसलिए मैं आवश्यक समझता हूं कि जो कमेटी बिठाई गई थी दिल्ली में किस प्रकार का राजनीतिक सैट-अप हो, इस बारे में, उसने इस बात की संस्तुति दी है कि दिल्ली के जो विधायक हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये और इसके लिए संवैधानिक संशोधन लाना चाहिए। खैर, यहां पर संवैधानिक संशोधन नहीं लाया गया लेकिन मैं सिर्फ इस बात की प्रार्थना करता हूं कि जैसी बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुरूप दिल्ली के जो विधानसभा के सदस्य होने वाले हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए और इनकी रिपोर्ट का उद्धरण मैं पढ़ रहा हूं पैरा 6.7.23 में उसने कहा है --

"We consider the desirability and appropriateness of adopting a sug-

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

gestion made to us that the elected members of the Legislative Assembly for Delhi should be included in the Electoral College for Presidential election under article 54 of the Constitution. The article provides that the President shall be elected by the members of an electoral college consisting of.... the elected members of the Legislative Assemblies of the States."

The Committee further said that in case of legislature for Delhi with a Council of Ministers, it is only appropriate that elected members of the Legislative Assembly of Delhi should be included in the Electoral College for election to the office of the President.

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं और दिल्ली के लोग अपने को उपेक्षित न समझें, जो देश की राजधानी में रहते हैं, इसलिए भविष्य में इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को संशोधन निश्चित रूप से लाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में, उपराज्यपाल को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। मंत्री परिषद् जो फैसला करेगी, उस मंत्रिपरिषद् के फैसले को राज्यपाल रोक भी सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज भी सकते हैं। इस बात पर भी कभी भविष्य में आप ध्यान रखिएगा।

तीसरे, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्यपाल के अधिकारों के संबंध में नहीं बल्कि उनका जो स्टेटस है, उसके संबंध में भी बालकृष्णन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसको पढ़कर मैं समय नहीं लूंगा लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में आप इस पर विचार करिए और इस रिपोर्ट के अनुरूप दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उनका जो स्टेटस है उसका ध्यान रखिए।

महोदय, जिस बात को अहलुवालिया जी ने उठाया है और सिकन्दर बख्त जी ने भी जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उसके संबंध में भी यह कहना चाहूंगा कि यह जो आपका विधेयक है, इसमें धारा 35 है जिसके अनुसार—

"धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक जो—

(क) विधेयक अथवा उन पर संशोधन विधान सभा में पुरःस्थापित या प्रस्तावित किए जायें उन सभी के प्राधिकृत पाठ,

(ख) अधिनियम विधान सभा द्वारा पारित किए जायें उन सभी के प्राधिकृत पाठ,

(ग) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि, विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले जाएं उन सभी के प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे।"

आपने इस बात का प्रावधान किया है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बना देती है, इस संबंध में कोई अधिनियम नहीं बना देती है, तब तक जो दिल्ली में विधान सभा स्थापित होने जा रही है, उसकी अधिकृत भाषा अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। भले ही संविधान में उसकी चर्चा है लेकिन जो भी 16–17 भाषाएं हैं हमारे देश की, जिनमें तेलुगु भी है, मलयालम भी है, और दूसरी भाषाएं भी हैं, उनमें अंग्रेजी नहीं है और अंग्रेजी भाषा को मैं गुलामी का प्रतीक मानता हूं। अंग्रेजी आप पढ़िए, अंग्रेजी से अपने ज्ञान को बढ़ाइए लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए हो, वह भी दिल्ली की विधान सभा के लिए, इस बात को मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो यह विधेयक है, इसके संबंध में आप निर्णय ले सकते हैं। क्यों आप संसद के लिए छोड़ते हैं कि संसद भविष्य में जब इस तरह का कानून बनाएगी तब देखा जाएगा लेकिन वर्तमान में अंग्रेजी भाषा रहेगी।

दिल्ली में जो लोग रहते हैं, वे इसके मतदाता होंगे । दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या भी अंग्रेजी भाषी लोगों की नहीं है । इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप विचार करिएगा क्योंकि भाषा का सवाल इस देश के लोगों की रोजी और रोटी से जुड़ा हुआ है । भाषा का सवाल जबान से नहीं जुड़ा है, रोजी-रोटी से जुड़ा है और इस लिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि इस संबंध में आप विचार करिएगा ।

इतना तो मैंने शुरू में ही कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए आप अधिकार देने जा रहे हैं लेकिन हम लोगों के यहां एक कहावत है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" । अहलुवालिया जी ने ठीक ध्यान आकर्षित किया कि आखिर जो कानून-व्यवस्था है, जो लॉ एंड आर्डर है, उसके संबंध में दिल्ली विधानसभा को आपने अधिकार नहीं दिया है । दिल्ली विधान सभा जो भंग होगी, उसका अधिकार भी पूरा का पूरा आपके लैफ्टिनैंट गवर्नर को दे दिया है । तो मेरा यह सुझाव है कि इन सारी बातों पर आप विचार करिए, अभी नहीं तो भविष्य में विचार करिए और उस पर एक अच्छा खासा विधेयक लाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी दिल्ली में विधानसभा स्थापित होगी, दिल्ली के मतदाताओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और दिल्ली में एक मंत्री परिषद् और एक मुख्यमंत्री भी होंगे । लेकिन अंत में एक सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । चूंकि दिल्ली के विधेयक को आप ... (व्यवधान)

श्री आर० के० धवन : आपने धारा 35 नहीं पढ़ी है । ... (व्यवधान) उसमें सब लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने पढ़ा है... (व्यवधान)

श्री आर० के० धवन : पढ़ा नहीं है, आपने सिर्फ बोलना है बोलने के लिए... (व्यवधान) आप हाऊस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ।... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं 25 साल से लेजिस्लेचर में हूं, आप 4 साल से हैं... (व्यवधान)

श्री आर० के० धवन : मैं 32 साल से वहां बैठा हूं...यह मत कहिए 25 साल से यहां पर हूं... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप वहां नौकरी करते थे, ... (व्यवधान)

श्री आर० के० धवन: आप पढ़िए तो सही इसको... (व्यवधान)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: .....

SHRI R. K. DHAWAN: ...* ... * But I was there.. (*Interruptions*) I know better than you.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: .... * .... (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: ..... * ..... * .... What do you ment? (*Interruptions*)

SHRI MADAN BHATIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, this kind of personal insult cannot be allowed. This is the type of useless talk being indulged in by the other side.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will look into the record. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, this kind of remark cannot be made. It should be expunged. (*Interruptions*)

श्री आर० के० धवन : आपकी काबलीयत इससे साबित हो रही है... (व्यवधान)

SHRI MADAN BHATIA: He does not read it. He is wasting the time of the House. Let him read the proviso. He should have read the Bill, before making his speech. Instead of doing it, he has started indulging in insults. He is hurling insults. Sir,

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Madan Bhatia]

this is a breach of privilege of the House. I am giving a notice. This is not the first instance. It has happened with me. This kind of personal insult against another Member is a breach of privilege of the House. I give notice against him. Sir, I respectfully submit that it is a breach of privilege of the House. This is a very serious matter. This is an insult.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can give notice.

SHRI MADAN BHATIA: I am giving a notice for breach of privilege against Mr. Satya Prakash Malaviya. Any personal insult against another Member is very serious. It is a gross breach of privilege of the House. I want to give notice of breach of privilege against Mr. Malaviya.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can do that. There is nothing wrong.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, you can take notice of this. I respectfully submit. When I have given notice to the hon. Chair, the hon. Chair may convey my notice to the hon. Chairman, so that the hon. Chairman may decide whether it is a breach of privilege or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have to give it in writing.

SHRI MADAN BHATIA: I am giving a notice of breach of privilege to the hon. Chairman. This is a very serious matter. We have heard this kind of personal insult a number of times. They have insulted me a number of times, on various occasions. This is their culture. This is nothing but* to which they belong.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I will reply to you.

SHRI MADAN BHATIA: This is nothing but * from which they have sprung up.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, is it parliamentary?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It will not go...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सदन का हर सदस्य माननीय है । इस तरह की बातें सदन की गरिमा को गिराती हैं । यह नहीं होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : मेरा इतना ही आग्रह है कि जो इस तरह के शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए । (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will look into it. I have already said that I will look into it. If there is anything unparliamentary, it will not go. Now let us go ahead. Yes, Shri Narayanasamy.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, यह आपका अधिकार है । लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भाटिया साहब जो प्रिविलेज नोटिस दें लिख कर दें और चेयरमैन साहब तक भिजवा दें । मैं उसका जवाब दे दूंगा ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजी भाषा को मैं गुलामी का प्रतीक मानता हूं । मैं समझता हूं इस बात को इस विधेयक में नहीं होना चाहिए लेकिन ला मिनिस्ट्री इसलिए इस पर विचार करें और विचार करने के बाद अच्छा और व्यापक विधेयक लायें । इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करके समाप्त करता हूं ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. As a person coming from a Union Territory, I feel satisfied that Delhi has

*Expunged as ordered by the Chair.

been given the status of having the Legislative Assembly. It is a long-felt need of the people of Delhi and also the various other political parties. Our Congress (I) party also unanimously passed a resolution and welcomed the Legislative Assembly for Delhi. Sir, in Delhi people from all walks of life are living. People have migrated to Delhi from various States. The people who have settled in Delhi are also benefited because the administration in Delhi was not up to the expectations. Day in and day out either the hon. Home Minister or the Surface Transport Minster or the Urban Development Minister of the Central Government receives petitions from people about the maladministration, corruption and embezzlement by the officials who are working in the Delhi Administration. The Metropolitan Council was there which did not have the teeth to have control over the administration. The Lt. Governor was the sole authority but he could not manage the affairs of Delhi. The other aspect is, there are various authorities who have been dealing with various departments. In some cases the Lt. Governor interferes, in some cases the Central Minister interferes and in some cases the Council interferes. Also there are multifarious agencies with multifarious functions and it ends nowhere. Neither the people nor the administration knew what was going on, whether the people got the benefit or not. If you look at the DDA, DTC, NDMC, criticism has been mounting against various organisations and the Government could not cope with the demands from various people. Now there is going to be a nodal agency, that is the Legislative Assembly, which will control the affairs of Delhi.

Having welcomed the Bill I have certain apprehensions about this Bill. As per the latest census the population of Delhi as on date is 4.9 million. Nearly 35 to 40 per cent of the people have come and settled here from other States. The people who are working in the Central Government offices, the people who are working even in Delhi Administration, most of them have come from various States and are working here. Some of them have settled here for more than 30 years and, especially, people from South India are more compared to people from other parts of the country. Now, I feel, in this Bill protection has not been given to them. The reason is, whichever party comes to power in the Legislative Assembly, there will be a hue and cry from that party that the people who have migrated recently should go out. That kind of a demand will be there. Therefore, I would like to ask the honourable Home Minister as to what kind of protection they are going to give to those people who have migrated and settled here in Delhi in recent times, say, during the last three, four or five years. Now even Members of Parliament are coming and settling here for 5, 10 or 15 years and they go back to their respective States later on. Even on the question of day-to-day administration, they have to approach the Delhi Administration for their daily, routine work. Therefore, on the kind of protection which should be given to people who have migrated and settled here, I would like to have a clarification from the honourable Home Minister here.

Secondly, Legislative Assembly for the Union Territory is a welcome move. There is a provision under the Union Territories Act of 1963—the power to nominate Members by the President Why I am raising this point is because, according to the Union Territories Act the Legislative Assembly will be small. The Members who will be elected, most of them, will be from political parties and even persons who are nominated. We have nomination in the Lok Sabha and the President also nominates Members to this House. The provision for nomination had been clearly spelt out when there was criticism against that

[Shri V. Narayanasamy]

Bill in 1963. The then Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, made a very categorical assertion in the other House and this House also, that the benefit of guidance and opinion of people of various walks of life, especially, science and technology, culture and other important fields would be lacking and therefore we should have nomination. Sir, here I would like to read out the provision for the benefit of this House. In section 3 of the Union Territories Act of 1963 it is said, "The Central Government"—that is, the President— "may nominate not more than two"— now it has been revised to three—"persons, not being persons in the service of the Government, to be nominated Members of the Legislative Assembly of the Union Territory." Since Delhi is enjoying the status of a Union Territory and not full statehood, my humble opinion is that for Delhi also the provision for nomination of Members should be there in this Bill because it would benefit the people, especially because people who have got experience in science and technology people who have got experience in the field of culture and so on would be present in the House and they would give their guidance and opinion.

Sir, coming to another aspect, the powers of the Lieutenant Governors are large, vast and wide, and ultimately what is happening is, under the Union Territory set-up the Home Ministry is controlling the Union Territory. This is the state of affairs which we have been experiencing. We have the Union Territories Act and also a Legislative Assembly but, practically, we always have to come to the Home Ministry for the clearance of all the subjects that are being administered in the Union Territory. But, Sir, now I submit that the honourable Home Minister has been kind enough and the Union Territories are not facing much problem. But now there will be criticism when the Central Government is ruled by one party and the Union Territory is ruled by another party, and there will be a clash of interests. Now, Sir, because the powers given to the Lieutenant Governors are so vast and wide, the bureaucrats in the Union Territories feel—that is my personal experience—that they are super bosses, and the elected body has no say in matters. That kind of apprehension should be removed from the minds of the burreaucrats. Sir, the Lt. Governor is considered to the authority for the purpose of vetoing the powers of the Legislative Assembly, whatever the Legislature has passed, whatever decision has been taken by the Legislative Assembly. Enormous powers have been given to the Lt. Governor, Limited powers should be given to the Lt. Governor. The powers vested in the President, we will be happy to accept. That suggestion I would like to make to the hon. Home Minister in this regard.

Sir, about the language there is a hue and cry. You have heard that some of the Members are telling that Hindi should be there, and some other Members are telling that English should be there. Sir, admittedly, English is the link language in this country. I am not the one .....

DR. RATNAKAR PANDEY: Now you do not know that Hindi is the link language. Do not misguide the House.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, on a point of information I may be permitted to speak. All the objections which have been raised not only show that this particular provision has not been read by them but also shows their colossal ignorance of the provisions relating to other Union Territories. This Act which was passed in 1963, also contains ....

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): Is it a point of order?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: We want your ruling here. This is not the practice in this House that if

I say something I will engage an advocate. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Bhatia, let me hear him.

SHRI MADAN BHATIA: I have started with your permission, Sir.

DR. Z. A. AHMED (Uttar Pradesh): What is the point of order?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He is raising a point of order. What is the point of order?

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदय, नारायणसामी जी ने अपनी बातें रखीं और उन को यह हक है । माननीय सदस्यों को यह हक है कि वे अपनी बात रखें । लेकिन किसी भी सदस्य की बात को समझाने के लिये किसी वकील की जरूरत पड़े, सदन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This is not fair. You should not say this.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं यह देख रहा हूं कि एक तरफ से धवन साहब निहार रहे हैं दूसरी तरफ मदन भाटिया जी खड़े हो रहे हैं और नारायणसामी जी की बात समझाने के लिये खड़े हैं, कभी कोई खड़ा हो रहा है, कभी फलाना खड़ा हो रहा है । तो मैं इस पर आपसे रूलिंग चाहता हूं ।

SHRI MADAN BHATIA: Let me reply to what he has said. He has not heard what I have said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let him complete.

श्री शंकर दयाल सिंह : ऐसी अवस्था में तो मैं भी यहां जेठमलानी साहब ने भी कह सकता हूं कि आप खड़े हों और जो भी कह रहा हूं उसका समर्थन करें । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह प्रथा बंद करिये, यह कोई रीका नहीं है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : राम जेठमलानी की राष्ट्रीयता असंदिग्ध हो चुकी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shankar Dayalji, the point is, if the hon. Member who is speaking, yields he is entitled to say that. There is nothing in it, and we should not make a reference to lawyer or somebody pleading for him. He has yielded. I would not have permitted him, but for his yielding.

SHRI MADAN BHATIA: The Bill was passed in 1963 with regard to all the Union Territories except Delhi. In 1963 when this Bill was passed, section 35 .....

डा० जैड० ए० अहमद : प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He is merely giving an information.

SHRI MADAN BHATIA: Section 35 of this Act provides word to word what is contained in clauses 34 and 35 of this particular Bill with regard to language. There also it was provided. I am submitting just two lines. It provided:

> "Notwithstanding anything contained in section 34, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of all the Bills shall be English;
>
> "Provided that where the Legislative Assembly of a Union Territory prescribes any other language than English language, then, that will be the official language."

The power has been given to the Legislative Assembly to provide Hindi as the official language. This particular proviso has been completely ignored while attacking the provisions of this Bill. Therefore, I am submitting that all that is being said from the other side is not only based on total ignorance, but it is inten-

[Shri Madan Bhatia]

ded to mislead this honourable House. It is meant only for the media sitting over there so that their names should come saying that this particular objection has been taken. They are taking the House for a ride.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please resume your seat. Mr. Narayanasamy, have you finished?

SHRI V. NARAYANASAMY: No Sir.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: A point of order. . . *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: Let me see the point of order.

श्री शंकर दयाल सिंह : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर आप सुन लीजिये । अगर मैं इरेलेवेंट कहूं तो उसको एक्सपंज कर दीजिए लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह सुन लीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपको अधिकार है रेलेवेंट कहने का, इरेलेवेंट कहने का, मैं देखूंगा क्या है।

श्री शंकर दयाल सिंह : भाटिया जी ने जो कुछ कहा, वह आंशिक रूप से कोट किया । 1963 का नियम बना था लेकिन राजभाषा अधिनियम 1976 में बना था । 1965 और 1967 में राजभाषा का संशोधन हुआ लेकिन अधिनियम जिसके अनुसार कामकाज होता है वह नहीं बना था । वह 1976 में बना था, उसकी धारा 8 में यह बिल्कुल क्लीयर किया गया है कि "क" क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली शामिल हैं, को जो पत्र व्यवहार किया जाएगा केन्द्र शासित प्रदेश से या राज्यों से किसी भी व्यक्ति को किया जाएगा वह हिन्दी में ही किया जाएगा। यह बहुत स्पष्ट है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह के विवाद की कोई भी गुंजाइश नहीं है । इसलिए मदन भाटिया जी से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने 1963 का कोट किया लेकिन 1965 और 1967 के संशोधन को भी देखें और जो अधिनियम 1976 में बना है उसको भी देखें तब बात पूरी हो जाती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order.

SHRI MADAN BHATIA: Will you give me an opportunity to explain on what he has said? *(Interruptions)* He is totally misquoting those portions. The provisions are totally different.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit don. Mr. Narayanasamy, do you want to speak?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Don't yield now. It is only because you yielded, all the trouble started. I must observe that Members are entitled to their views. The Home Minister is here to reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am entitled to my view, Sir With full authority I say that English is the link language even now.

DR. RATNAKAR PANDEY: No.

श्री शंकर दयाल सिंह : राष्ट्र की सम्पर्क भाषा हिन्दी है । साथ साथ अंग्रेजी में भी काम होता है (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इंदिरा गांधी के समय राजभाषा विभाग की स्थापना हुई । उन्होंने हिन्दी को लिंक लैंग्वेज माना, सम्पर्क भाषा माना (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is my view. They can't change my view.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please address the Chair. (व्यवधान) पढ़िए जी, आप भी बोलने वाले हैं, आप बैठिये।

SHRI V. NARAYANASAMY: Don't try to bully me.

DR. RATNAKAR PANDEY: I don't want to bully you. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir he cannot change my view in the House. (*Interruptions*) He wants to change the link language of the people who are living in Delhi.

DR. RATNAKAR PANDEY: English is not the link language.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sections 34 and 35 have been guardly worded. In this the President has been given power to pass an order. On the official language for the purpose of proceedings in the Legislative Assembly, the President on varifying the majority population, can order for the language to be used in the Legislative Assembly. If any Member wants to speak in his mother tongue, he has also to be authorised by the Speaker to speak in that language. About Bills and other things this has been guardly worded that English, any other official language or Hindi may be there, subject to the modifications according to the wishes of the Members. The capital city being a cosmopolitan city, the people from various languages, especially from the South, live here. The tenor of the argument by the other side seems to be that they are trying to impose Hindi on the non-Hindi-speaking people in Delhi. Yes, you are trying to impose Hindi on the non-Hindi-speaking people.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No. We are opposing, why only in English; why not in Telugu? You can speak in Malayalam also.

[7.00 P.M.]

श्री राम नरेश यादव : हिंदी महोदय, थोपी नहीं जा रही है बल्कि जो संविधान में राष्ट्र भाषा, सम्पर्क भाषा के नाम से है... (व्यवधान) यह माननीय सदस्य का निजी विचार हो सकता है लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है उसको तो मानना ही पड़ेगा।

[The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): He is not yielding. Let him continue. He is on his legs.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Hindi is not the only language of the country.

SHRI V. NARAYANASAMY: I request the hon. Home Minister to kindly consider the sentiments of the people. (*Interrupions*)... who are living in Delhi.

I am coming to another important aspect, the voting rights for the Members of the Legislative Asembly for the President's election. It is a very serious matter.. (*Interruptions*) My State is also one of the victims. Members of the Pondicherry Legislative Assembly have no voting rights for the President's election. We have been demanding for it since a long time.

SHRI S. B. CHAVAN: I will take care of it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you Mr. Home Minister.

Members of the Pondicherry Legislative Assembly and also the people of Pondicherry State as a whole have demanded Statehood for Pondicherry. It is pending for more than ten years. After passing the Union Territories Act in 1963, Legislative Assembly was given to us. While supporting the Bill, I request the hon. Hime Minister to consider that demand for which the people of Pondicherry will be very happy. I hope the hon. Home Minister will also announce Statehood for Delhi. Thank you.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, इस बिल के जरिये दिल्ली के लोगों का एक बहुत दैरीना मसला पूरा हो रहा है । गो कि यह बिल बहुत मुबहम है, बहुत गैरवाजे है मगर इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो शुरूआत हो रही है उस शुरूआत का सभी को खैरमकदम करना चाहिए । मगर इसमें चंद वजाहतें बेहद जरूरी हैं । अगर पूरे बिल का मुताला करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई ऐसी गैर वाजे बातें सामने आयेंगे जिनकी वजाहत मैं आनरेबुल मिनिस्टर से चाहूंगा कि वे अपने जवाब में जरूर करें । एक बात और मैं कहूंगा कि इस दिल्ली को स्टटहुड का दर्जा देने के ताल्लुक से जो राह हमवार की गयी थी वह नेशनल फ्रंट के जमाने से की गयी थी और नेशनल फ्रंट के वक्त का जो मंशूर था, इलेक्शन मैनीफैस्टो या उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा । मगर शोनिए किस्मत कि इन 11 महीनों में नेशनल फ्रंट की हुकूमत के जमाने में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उस कलील सी, थोड़ी सी मुद्दत में इस ताल्लुक से बिल नहीं लाया जा सका । यह बिल पास नहीं करवाया जा सका । लिहाजा यह जो बिल लाया गया है जो कि यह बिल अपनी जगह मुबहम और गैरवाजे बहुत जरूरी है मगर इसके बावजूद मैं इस बिल का खैर मकदम करूंगा । सबसे बड़ी इसमें जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं वह आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली एक नेशनल कैपिटल भी है और सारे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग इस दिल्ली में रहते हैं, बसते हैं और गुजिश्ता 40–45 साल से वे यहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं । मगर यहां पर वे लिंग्विस्टिक माइनरिटीज कहलाते हैं । इस बात के कोई इम्कानात नहीं हैं कि लिंग्विस्टिक माइनरिटी के लोग भी ये 70 जो सीटें रखी गयी हैं वे इसमें जीतकर आ सकेंगे । लिहाजा मैं यह चाहूंगा कि उनके लिए रिजरवेशन रखा जाए और अगर रिजरवेशन नहीं रखते हैं तो प्रेजीडेंट आफ इंडिया नामीनेट करें इन लिंग्विस्टिक माइनारिटी के लोगों को ताकि वे भी जिस मुकाम पर रहते हैं 40–45 वर्षों से उस हक के महरूम न हो सकें । यह मेरा एक प्वाइंट है।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि हम यह देख रहे हैं कि एड्यूअल अथारिटी की बात सामने आ रही है । अब तक जो बात थी, वह यहां पर मैट्रोपालिटन कौंसिल थी, दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन थी, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी थी और फिर उन सब चीजों को ऐसे रखते हुए जो ऊपर से लेजिस्लेटिव असेम्बली भी लाई जा रही है और फिर यहां पर नेशनल कैपिटल होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी, तो जब तक कि आप अख्तियारात की शनाख्त न करें, अख्तियारात की हदबंदी न करें, डिमार्केशन न करें, उस वक्त तक बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि कौनसा सबजैक्ट कौन डील करेगा । लॉ एंड आर्डर का जो सवाल है, लॉ एंड आर्डर के मसले को कौन डील कर सकेगा । लॉ एंड आर्डर का जो दिल्ली का मसला है, वह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी रहेगा या नहीं । तो जो दिल्ली की सरकार होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी । ऐसे ही और भी कई मसायल हैं । इस ताल्लुक से मैं चाहूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में साफ और वाजेह तौर पर बतायें कि यह किसकी जिम्मेदारी रहेगी ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्ज को जो एप्वाइंट करने की राष्ट्रपति जी की जो बात कही गई है, मैं इसका खैरमकदम करता हूं, वकलम करता हूं कि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं दिया जाना चाहिए । वाकेअतन यह राष्ट्रपति जी को दिया जाना चाहिए और इसी मिसाल को सामने रखते हुए मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से यह दर्खास्त करूंगा कि हमारे जो भी गवर्नर हैं, वह अंकुश्त शशुम हैं, सिक्स-फिगर्ड हैं । पूरे गवर्नर्ज के ओहदों को बर्खास्त किया जाए और हर स्टेट के के चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर को राष्ट्रपति को ही अख्तियार दिया जाए कि वह नामिनेट करें । इस वजह से कि हम यह समझते हैं कि गवर्नर के ओहदे मदेफिजूल हैं और सरकारी खजाने पर यह बहुत बड़ा वार है ।

यही गवर्नर्ज मरकज के एजेंट होते हुए वहां रियासतों में मुखतलिफ सियासी खेलों में इनवाल्व होते हैं । मैं चाहूंगा कि

गवर्नर के जो अख्तियारात हैं—या तो गवर्नर के ओहदों को आप बर्खास्त कीजिए और गवर्नर्ज के ओहदों को फिलवक्त अगर आप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो अख्तियारात दिये गये हैं चीफ मिनिस्टर्ज को और मिनिस्टर्ज को एप्वाइंट करने के और हटाने के, वह जो अख्तियारात हैं, उनको सलब कर लिया जाए और वही अख्तियारात राष्ट्रपति को दिया जाए।

मेरी चौथी तजवीज यह है कि यहां एक एडवाइज़री कौंसिल बनाई जाए और उस एडवाइज़री कौंसिल में कुछ मेम्बरान पार्लियामेंट हों और दिल्ली में जो मेंबर्ज आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली होने वाले हैं, वह होने चाहिएं और इस एडवाइज़री कौंसिल को राष्ट्रपति नामिनेट करे। जो अहम मसले हैं, उन पर जो एडवाइज़री कौंसिल है या जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ताल्लुक से वह मश्विरा दे सके। (समय की घंटी)

लिहाजा यह चंद बातें हैं जो मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से दर्खास्त करूंगा कि वह इसका जरूर ग़ौर कर के शुक्रिया।

श्री मुहम्मद खलीलुर्रहमान† (आन्ध्र प्रदेश): जनाब वाईस चेयरमैन साहब। इस बिल के ज़रिये दिल्ली के लोगों का एक बहुत दीर्घ मसला पूरा हो रहा है। गो कि यह बिल बहुत मुबहम है। बहुत ग़ैर वाज़ेह है। मगर इस के बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो शुरूआत हो रही है इस शुरूआत का सभी को खैर मक़दम करना चाहिये। मगर इस में चन्द वज़ाहतें बे हद ज़रूरी हैं। अगर पूरे बिल का मुतालआ करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई ऐसी ग़ैर वाज़ेह बातें सामने आयेंगी जिन की वज़ाहत में आनरेबल मिनिस्टर से चाहूंगा कि वह अपने जवाब में ज़रूर करें।

एक बात और मैं कहूंगा कि इस दिल्ली को स्टेट स्टेटस का दर्जा देने के ताल्लुक से जो राह हमवार की गई थी वह नेशनल फ्रन्ट के ज़माने से की गई थी और नेशनल फ्रन्ट के वक्त का जो मनशूर था। इलेक्शन का मेनिफेस्टो था इस में यह कहा गया था कि दिल्ली को स्टेट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। मगर शूमई क़िस्मत कि इन ११ महीनों में नेशनल फ्रन्ट की हकूमत के ज़माने में कुछ ऐसे हालात पैदा हुये कि इस क़लील सी मुद्दत में इस ताल्लुक से बिल नहीं लाया जा सका। यह बिल पास नहीं करवाया जा सका। लिहाज़ा यह जो बिल लाया गया है गो कि यह बिल अपनी जगह मुबहम और ग़ैर वाज़ेह। बहुत ज़रूरी है। मगर इस के बावजूद मैं इस बिल का खैर मक़दम करूंगा। सब से बड़ी इस में जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं वह आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली एक नेशनल कैपिटल भी है और सारे हिन्दुस्तान के कोने कोने के लोग इस दिल्ली में रहते हैं बसते हैं और गुज़श्ता चालीस पैंतालीस साल से वह यहां पर अपनी ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं। मगर यहां पर वह लिंगोस्टिक माइनारिटीज कहलाते हैं। इस बात के कोई इमकानात नहीं हैं कि लिंगोस्टिक माइनारिटीज के लोग भी जो

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

جو دلّی کی سرکار ہونے والی ہے اس کی ذمّہ داری رہے گی۔ ایسے ہی اور بھی کئی مسائل ہیں۔ اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اپنے جواب میں صاف اور واضح طور پر بتائیں کہ یہ کس کی ذمہ داری رہیگی

تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر کو اور منسٹرز کو اپائنٹ کرنے کی راشٹرپتی جی کی جو بات کہی گئی ہے میں اسکا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویلکم کرتا ہوں۔ کہ یہ لیفٹیننٹ گورنر کو نہیں دیا جانا چاہیئے۔ واقعتاً یہ راشٹرپتی جی کو دیا جانا چاہیئے اور اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے ہوم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کرونگا کہ ہمارے جو بھی گورنر ہیں وہ انگشت شمار ہیں "سکس فیکرڈ ہیں" پورے گورنرز کے عہدوں کو برخواست کیا جائے اور ہر اسٹیٹ کے چیف منسٹر کو اور منسٹر کو راشٹرپتی کو ہی اختیار دیا جائے کہ وہ نومینیٹ کرے۔ اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کے عہدے محض فضول ہیں اور سرکاری خزانہ پر بہت بڑا بار ہے۔ یہی گورنرز مرکز کے ایجنٹ ہوتے ہوئے وہاں ریاستوں میں مختلف سیاسی کھیلوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنر کے جو اختیارات ہیں یا تو گورنر یہ ستر سیٹیں رکھی گئیں ہیں وہ اس میں جیت کر آسکیں گے۔ لہذا میں یہ چاہوں گا کہ انکے لیے اس میں رزرویشن رکھا جائے۔ اور اگر رزرویشن نہیں رکھتے ہیں تو پریذیڈنٹ آف انڈیا نامونیٹ کریں۔ ان لنگوسٹک مائنارٹیز کے لوگوں کو تاکہ وہ بھی جس مقام پر رہتے ہیں چالیس پینتالیس ورشوں سے اس حق سے محروم نہ ہوسکیں۔ یہ میرا ایک پوائنٹ ہے۔

میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیول اتھارٹی کی بات سامنے آرہی ہے۔ اب تک جو بات تھی وہ یہاں پر میٹروپولیٹن کاؤنسل تھی۔ دلّی میونسپل کارپوریشن تھی۔ دلّی میونسپلٹی تھی اور پھر ان سب چیزوں کو ایسے رکھتے ہوئے جو اوپر سے لیجسلیٹو اسمبلی بھی لائی جارہی ہے اور پھر یہاں پر نیشنل کیپٹل ہونے کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ بھی رہے گی تو جب تک کہ آپ اختیارات کی شناخت نہ کریں۔ اختیارات کی حد بندی نہ کریں۔ ڈی مارکیشن نہ کریں۔ اس وقت تک بڑی مشکل ہوجائے گی کہ کون سا سبجیکٹ کون ڈیل کرے گا۔ لا اینڈ آرڈر کا جو سوال ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو کون ڈیل کرسکے گا۔ لا اینڈ آرڈر کا دلّی کا جو مسئلہ ہے وہ مرکزی حکومت کی ذمّہ داری رہے گا یا نہیں۔ تو

کے عہدوں کو آپ برخاست کیجئے اور گورنر کے عہدوں کو فی الوقت اگر آپ برخاست نہیں کر رہے ہیں تو انکو جو اختیارات دیئے گئے ہیں چیف منسٹرز کو اور منسٹرز کو اپائنٹ کرنے کے اور ہٹانے کے وہ جو اختیارات ہیں ان کو سلب کر لیا جائے اور وہی اختیار پریسڈنٹ کو دیا جائے۔

میری چوتھی تجویز یہ ہے کہ یہاں ایک ایڈوائزری کونسل بنائی جائے اور اس ایڈوائزری کونسل میں کچھ ممبران پارلیمنٹ ہوں اور دلی میں جو ممبرز آف لیجسلیٹو اسمبلی ہونے والے ہیں وہ ہونے چاہئیں۔ اور اس ایڈوائزری کونسل کو راشٹرپتی نومینیٹ کرے جو اہم مسئلے ہیں ان پر جو ایڈوائزری کونسل ہے یا جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور دلی کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تعلق سے وہ مشورہ دے سکے۔۔۔ "وقت کی گھنٹی"۔۔۔ لہذا یہ چند باتیں ہیں جو میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسکا ضرور ذکر کریں۔ شکریہ۔۔۔

DR. Z. A. AHMED: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am bound to congratulate the Prime Minister first and then the Home Minister on having brought before the House, before Parliament, a Bill which, as far as the situation goes, is a good and correct measure. I think, very carefully and exercising their wisdom judicially, they have brought a Bill which meets the situation, the demands of the people, and is a step forward towards giving Delhi statehood.

I have heard friends speaking here saying that Delhi should be given statehood exactly on the same pattern... (*Interruptions*) होम मिनिस्टर साहब आप सुनें, हम लोगों की बकवास हो रही है। माफ कीजिए। I have heard friends saying that Delhi should be given exactualy the same type of Statehood as exists elsewhere as per the Constitution. I think that is going too far. Delhi has a special position, peculiar position, which has to be recognised and given due consideration. Delhi has a history, Delhi is extremely cosmopolitan city, Delhi has so many authorities administering at the same time, Delhi is the capital city, Delhi has a very powerful and highly centralised Central Government. Now, if you start pouring out in a large-hearted manner overdoses of democracy in the name of giving full Statehood, I think that is premature and we have to give more time and consider the complicated situation that is involved. Relationship between the Centre and the States is not going to be static. It is a relationship that will evolve and it will take time. We should give the Centre and the Delhi Administration enough time to bring about adjustments for proper equation of their relationships. I won't make a speech. I will just read out a few points, a few suggestions for consideration. These points have been duly considered by our group and discussed in our party—the CPI—and

[Dr. Z. A. Ahmed]

therefore, I will just mention them here. Our point of view is this. Firstly, the financial powers should lie with the Legislative Assembly. Secondly, all autonomous or other organs of administration, including the DDA, the DTC and other institutions, which unfortunately today are steeped in corruption and malpractices, as also all other such organisations, should be answerable to the Legislative Assembly and they must be under the jurisdiction of the Legislative Assembly.

Thirdly, the budget of these bodies should also be approved by the Legislative Assembly.

Fourthly, the Lt. Governor should be appointed by the President as the Chief Representative of the President and the Central Government. No Ministry of the Government of India shall directly interfere or deal with any issue excepting through the Lt. Governor.

Fifthly, the Legislative Assembly shall have due force in respect of any enactment made hitherto and for future unless Parliament specifically overrules this.

Lastly, for civic affairs also, the Legislative Assembly shall have powers to enact such changes as are needed. That is all. I do not want to go into all those complicated matters. I think, if we bear in mind the fact that it is going to be an evolving process—the relationship between the Centre and the State— then in due course of time, many of the doubts will be cleared and the necessary changes will be brought about. Thank you.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन का इस संबंध में अधिक समय नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरा कम से कम 44 संशोधन इस मूल बिल पर है । मैं केवल जो यहां कहना चाहता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर कुछ देर पहले विवाद हुआ वह यह कि दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है । "क" क्षेत्र का अर्थ यह है कि जहां की भाषा मान ली गई हो कि हिन्दी सम्पर्क भाषा है और केन्द्र ने भी स्वीकार कर लिया हो और राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया हो 1976 के अधिनियम के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तथा उसके बाद अंडेमान निकोबार ने जब आवाज उठाई कि हमको भी "क" क्षेत्र में रखिए तो अण्डमान निकोबार को भी "क" क्षेत्र में रखा गया है । अण्डमान निकोबार के लोगों ने जब आवाज उठायी वह आपके उसमें नहीं है, हमारा कहना यह है कि जब "क" क्षेत्र में दिल्ली आता है और दिल्ली की भाषा हिंदी है, लेकिन जैसाकि हमारे दूसरे मित्रों ने कहा, मैं इस बात को मानता हूं कि पूरे देश के लोग यहां रहते हैं, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है और इसीलिए यह जो बिल हमारे सामने आया है, वह ठीक ही है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन है, इसमें अंग्रेजी में भी काम होना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हमारा विरोध यह है कि संसद में जितने कागजात पेश होते हैं, संविधान के अनुसार आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पेश करने पड़ते हैं, भले ही कोई पढ़े या न

पढ़े समझे या न समझे लेकिन जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो चव्हाण साहब मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं कि आप ज्यादा उसको ग्रहण करेंगे । आपने इसमें लिखा है कि—

'shall be in the English language.'

अब आप कहेंगे कि हमने तो बिल और एक्ट्स के बारे में कहा है । मैं आपसे सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में जितने भी प्रांत हैं, उनकी लैजिस्लेटिव एसेंबली जब बिल या एक्ट पास करती हैं तो अंग्रेजी में नहीं पास करती हैं । तमिल का बिल या एक्ट पास होगा, वह तमिल में होगा और तमिल का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। कन्नड़ का कन्नड़ में होगा और उत्तर प्रदेश का हिंदी में होगा, बिहार का हिंदी में होगा दिल्ली में आप केवल अंग्रेजी में कह रहे हैं, यह जानकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति ने भी इसको ड्राफ्ट किया होगा, अगर हिंदी और इंगिलश और हिंदी एंड इंगिलश भी रहता तो मैं इस बात को समझ जाता । मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि वह भारतीय भाषाओं की वकालत क्यों नहीं करते हैं जो एक विदेशी भाषा की वकालत करते हैं । असमिया की बात कही जाए, कन्नड़ और मलयालम की बात कही जाए, हम तो उसके साथ हैं। तमिल की बात कहें, मैं तो कहता हूं कि तमिलमें [illegible] चाहिए, लेकिन एक विदेशी भाषा को आप अपनाकर देश की राजधानी दिल्ली को आप राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र नहीं मान सकते हैं।

माननीय गृह मंत्री जी, मैंने जो संशोधन दिया है, जानबूझकर यह संशोधन नहीं दिया है । इसलिए नहीं दिया है कि जैसे हमारे अन्य भाइयों—अहलुवालिया जी, रत्नाकर पाण्डेय जी का भाव आपने सुना सदन के अधिकांश सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है । इसे किसी पार्टी की बात न बनाएं । मैं अगर संशोधन देता और उस पर अगर वोट की गुंजाइश होती, वोट मांगा जाता तो निश्चय ही मानिए कि इस सवाल पर सरकार हार सकती थी और सरकार को लज्जित होना पड़ सकता था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शालीनता का सवाल यह है कि आप इसे स्वीकार कर लें क्योंकि इसको स्वीकार करने से इसकी एक मर्यादा बची रह जाएगी । मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य इसलिए समाप्त करता हूं कि जब मुल संशोधन की बात आएगी, उस समय अन्य बातें उठाऊंगा । मैं केवल यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ था । धन्यवाद । ...(**व्यवधान**)... उसके बारे में भी हमने बताया कि दिल्ली की भाषा ही उर्दू, पंजाबी और हिंदी तीनों है और यहां जितना पत्राचार होता है, वह तीनों-चारों भाषाओं में होता है । इसलिए हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, पंजाबी और गुरुमुखी को भी आपको महत्व देना होगा ।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you because you allowed me to speak...

श्री राम अवधेश सिंह : हिंदी में बोलिए ।

श्री शिव प्रताप मिश्र : राम अवधेश जी, मैं बोलूंगा क्योंकि भाषा को मैं राष्ट्रीय एकता में एक व्यवधान के स्वरूप में नहीं मानता । मैं राज भाषा का प्रेमी हूं । अभी जो जयपुर में बैंकों का अधिवेशन हुआ था, उसमें डा० पाण्डेय जी के साथ मैं भी गया था, लेकिन अभी

[श्री शिव प्रताप मिश्र]

हमारे बहुत-से देशवासी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंदी को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकते । मैं उनके ऊपर हिंदी थोपना नहीं चाहता । राम अवधेश जी, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है । जिस तरह से विडगिस्टाइन एक जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि भाषा एक सीमित चीज है । उससे आप सभी चीजों को नहीं व्यक्त कर सकते, जैसे कि आप मौसम, प्यार, जलेबी व इमरती-- दोनों के मिठास का अंतर नहीं बता सकते भाषा में । केवल कह सकते हैं कि भाषा है । तो मैं हिन्दी भाषा का समर्थक हूं । किसी राष्ट्र के उत्थान के लिए राजभाषा का उत्थान होना आवश्यक है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA). Please come to the subject.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Sir, first of all, I want to congratulate the Congress Government headed by the hon. Prime Minister, including our hon. Home Minister who has fulfilled the promises of our election manifesto which was prepared under the stewardship of our beloved departed leader Shri Rajiv Gandhi. One of the promises of the Congress manifesto was to grant Delhi Statehood. They have accepted for social justice the recommendations of the Mandal Commission and implemented it. Sir, it was not hyporcrisy before this also. Sir, it was implemented in Andhra Pradesh where Congress Government was in power. It was implemented in Karnataka where Congress Government was in power. So, it has been accepted here in toto. Sir, in its acceptance, there was no self-immolation, there was no funeral pyre for the youth of the country which occured during the Janata Dal regime. At the same time, I can also say, to promote communal harmony as well as to sustain the ideals of secularism this Government had passed the Protection of Places of Worship Act also at the time when our temples were being dismantled in Ayodhya. There were threats to mosques not only in Ayodhya for Babri Maszid, but in Banaras and Mathura also. This Bill was also accepted.

Sir, I would also like to tell that one of the promises of our manifesto was to make economic reforms. When the Congress Government came to power, there were only Rs. 2,600 crores of reserves with us. That was not sufficient even for two weeks for import. Now that has reached Rs. 9000 crores. This was the target to be achieved in 1993, which has been achieved in 1991.

Sir, now I come to domestic front. ULFA is subdued. Territorists are coming to order. Militants are under control. There may be abduction, but not at the cost of blackmail, just like when Ms. Rubiya was kidnapped, we had to release many militants. Now it is not like this. Sir, some days back one diplomat was abducted. But he was released without any condition, without any compromise. I would like to tell about the Foreign Policy.

SHRI DIPEN GHOSH: Come back to Delhi.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I am coming. I will be glad to tell

that on our foreign front our Government has strengthened the bond of friendship with Nepal as well as with China on the principles of Panchsheel which was enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru and it has been again revived. Now I am coming to Delhi.

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh): Along with Panchsheel!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You are coming to Delhi very late.

SHRI DIPEN GHOSH: His plane has now landed in Delhi.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: As these promises were fulfilled, like that to grant Statehood to Delhi has also been accepted today in this august House. Before coming to Delhi I want to take one more minute. Before Delhi came into existence...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You were given only five minutes to speak.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Sir, give me 10 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I can't give.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Before Delhi, Dhar, Ujjain, and Magadh were the centres of Power... (*Interruptions*)... There are references made in history to this effect... (*Interruptions*)... I would like to quote.

धाराधारा सदा धारा सदा लम्बा सरस्वती
पंडित मंडिता सर्वे भोज राजे मुवंगते।।

During the time of Bhoj, Dhar was the centre of power. Later on it was Ujjain, Rajgir, Patliputra... (*Interruptions*)... During the Gupta dynasty, Magadh was the centre of power. I would like to quote:

अनुगंगा प्रयाग च साकेत मगधान स्तथा
एतान् जनपदान् सर्वेमोक्ष्यन्ते गुप्त वंशज ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I will have to see that the lands in Delhi safely... (*Interruptions*)...

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: During the time of Mahabharat, Delhi, this place was called Inderaprasth. Indraprasth was the capital of the Pandavas. It was during the time Pritviraj, that it became Delhi... (*Interruptions*)... Actually, during Pritviraj's time it was called Dillipprasth. Dill means hill and prastha means place. Later on it became Dilprastha and then Delhi... (*Interruptions*)...

[The Deputy Chairman in the chair]

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, his plane is hovering over Delhi. Because of bad weather he is not landing... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mishra, please land even if you have to crash-laid... (*Interruptions*)...

मैं आपका सारा भाषण अपने कमरे में सुन चुकी हूं।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam, I am giving the historical background ...(*Interruptions*)... Dilprashtha became Delhi... (*Interruptions*)... My colleagues from the other side have been asking as to what the Government was doing for the last 45 years. Why was statehood not granted to Delhi earlier?... (*Interruptions*)... I would like to inform them that statehood to Delhi was granted in 1952 by Pandit Jawaharlal Neru. There was an Assembly and Mr. Brahma Prakash was the Chief Minister. But it was then opposed, Mr. Sikander Bakht, by your party and it was then replaced by the present system. I would like to inform the House that it was during the time of Nehru that statehood was granted to Delhi... (*Interruptions*)...

उपसभापति : मिश्र जी, आप जो यह दिल्ली को हिस्ट्री बता रहे हैं न, तो ऐसा करें कि जब दिल्ली विधान सभा की स्थापना हो जाए तो लिखकर भेज देना वहां वह पढ़ देंगे क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

Now, please conclude. I have to make an announcement that dinner is ready for the hon. Members of Rajya Sabha in the Parliament House... (*Interruptions*)...

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam, you are not allowing me to speak. There is one poem written by my colleague, Mr. Bekal Utsahi. I would like to read that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will ask Mr. Bekal Utsahi to read it. You give him a chance. **उनको भी मौका दीजिये...(व्यवधान) आप बोल दीजिये, आपको पोइट्री कहना है, बोल दीजिये।**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैडम, सारे कर्मचारियों को खाने की व्यवस्था नहीं की गयी है, उसके प्रोटेस्ट में मैं सदन का भोजन नहीं करूंगा। सारे कर्मचारियों को भोजन कराया जाये।

उपसभापति : सबका है। आपको कैसे मालूम, पाण्डेय जी?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैडम, आप पता कर लीजिये। मैंने जो कहा है अगर गलत हो तो उसको वापिस ले लूंगा।

उपसभापति : मंत्री जी, सारे कर्मचारियों के खाने का भी इंतजाम कर दीजिये। फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हैं, कोई परवाह की बात नहीं है।

SHRI M. M. JACOB: Food has been arranged for all the hon. Members, presspersons and all the staff.

उपसभापति : ... (**व्यवधान**) नहीं-नहीं, हो गया सब का। सब भूखों को भोजन करायेंगे। ....(**व्यवधान**) **अब आप पोइट्री बंद करिये, हो गया।**

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: To give another salient feature to this Bill, I suggest that there should be a Central Advisory Committee consisting of the Members of Parliament so that there will not be a repetition of what happened during the times of Siraj-ud-daulah and the East India Company.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. John Fernandes and Mr. Ratnakar Pandey.

य जी, आज आप नहीं बोलेंगे, बहुत दफे बोलते हैं। पाण्डेय जी, वैलकम कर दीजिये और बैठ जाइये।

because one hours time was allotted and I think you have taken more time. I have 25 Special Mentions and I won't allow anybody to go before the Special Missions are over.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैडम, मैं रोज आपका आदेश मानता हूं, आज मेरी प्रार्थना मानलें। मैं दो मिनट बोलूंगा, तीसरा मिनट नहीं बोलूंगा।

उपसभापति : आज मेरा आदेश मानिये।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I rise to support this Bill. There is nothing to oppose in this Bill. But I would like to make some suggestions for the consideration of the hon. Minister though it is too late to give amendments now. I understand that this Bill is not covered by the Union Territories Act of 1963 as in the case of Pondicherry and Goa. The hon. Minister wanted to give 70 seats to the Union Territory of Delhi in the Assembly of Delhi. I have a small suggestion to make. The number should have been 69 or 71. We have an example of a tie in Goa during the last election where out of 40 seats, both the parties get 20 each. So, keeping this in mind it would have been appropriate if the number of seats was

odd and not even. The second thing I would like to say that in the Union Territories Act, 1963, there is a provision for nomination of three members. Three members are nominated by the President of India. In Delhi, we have a lot of refugees. They may be from Tibet or some other country. But refugees have come and settled here. It is appropriate that these seats are reserved for nomination of those people who will not be represented in the Assembly. Madam, again the hon. Minister has made reservation for the Scheduled Castes under Article 341. But the Scheduled Tribes included under Article 341. But the Scheduled Tribes included under Articles 342 have been excluded. I hope he will give due consideration to this also. There is a provision that this Assembly will be covered under the Tenth Schedule, the anti-defection Act. This Act can come into force provided the rules are prescribed by the Assembly and when this Assembly will be elected, there will be scope for horse-trading if it is not covered by the Tenth Schedule. I would like to know from the hon. Minister whether the Parliament will frame some rules which will be ratified by the elected State Assemblies so as to avoid any horse-trading pending the rules being passed by that House. The next part I would like to suggest is about Clause 23 (2). The hon. Minister has mentioned that a Bill which will be pending in the Legislative Assembly shall lapse on dissolution of the Assembly. I think the honourable Minister has not made provision for a situation when the Assembly may be under suspended animation. I hope the honourable Minister would also give a thought to it and cover this also under this provision.

Article 24 provides power of veto to the Leiutenant Governor. The Lieutenant Governor can return a Bill with his recommendation to the Assembly which may be considered or which may not be considered. It is okay if the State Government of Delhi belongs to the same party as that of the Union Government. A confrontation will arise when there is a political rivalry. I feel it would have been appropriate that the area of New Delhi was kept outside the purview or jurisdiction of the new Assembly because we are going to continue to have the Central seat of power in New Delhi; the Union Government is going to continue to sit in New Delhi. Therefore, it would have been appropriate that a proper place outside the area of New Delhi was adjudicated to have the administrative offices of the new Union Territory Assembly so as not to have a confrontation in the dual operation of power.

With these few words I support this Bill and I hope the honourable Minister will take my suggestions.

श्री राम अवधेश सिंह: उपसभापति महोदया, अब यह मुल्क अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हुआ था तो यहां दिल्ली में असेंबली थी और यहां भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे लेकिन पता नहीं किस कुचक्र का शिकार होकर दिल्ली से मुख्यमंत्री का पद खत्म कर दिया गया और असेंबली भी हटा दी गई। तो यह कोई नयी बात नहीं है कि दिल्ली को विधानसभा दी जा रही है पहले यहां विधानसभा थी और दिल्ली में सरकार थी और फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री थे लेकिन उसको किसी राजनीतिक कुचक्र में हटाया गया और अब दिल्ली के हुक्मरानों को होश आया है कि यह वाजिब हक दिया जाना चाहिए और यह सरकार यह हक दे रही है, इसलिए यह बधाई की पात्र है। लेकिन मुझे जो कहना है वह यह कहना है कि अगर आप दे रहे हो दिल्ली के नागरिको को हक तो खुले दिल से दो, अधूरे मन से मत दो। अब आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री आधा तो जिम्मेदार रहेगा राष्ट्रपति के प्रति उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार रहेगी और फिर आधा उप-

[श्री राम अवधेश सिंह]

राज्यपाल के माध्यम से काम चलेगा। यह ठीक नहीं है। उपराज्यपाल का यहां कोई मतलब नहीं है। उपराज्यपाल को खत्म करिए आप और दिल्ली को पूरा राज्यपाल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि विलेरी के साथ इसको करिए। आपके मन में डर समाया रहता है कि दिल्ली में शायद किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत रहे और राज्य सरकार दूसरी पार्टी की हो तो हमको मुसीबत खड़ी हो सकती है।

महोदया, इस वजह से दिल्ली से हुक्मरान डर-डरकर, धीरे-धीरे, फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे हैं। हो सकता है यह आपका कोई प्रयोग हो लेकिन यह प्रयोग अब सफल नहीं होगा क्योंकि एक बार विधानसभा दे देंगे और फिर उसमें एक रुकावट डाल देंगे तो यह चलेगा नहीं। आंदोलन होगा और आपको फुल फ्लैज्ड करना पड़ेगा। आज करें या कल करें।

अब मैं दिल्लीवासियों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। हंसपाल जी अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक झोंपड़ी भी बढ़ने न दी जाए और जो पहले से हैं उसको दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में तो कोई यहां का पैदा हुआ नहीं है। बहुत थोड़ी आबादी है जो दिल्ली की है। आज दिल्ली में मैं समझता हूं कि कम से कम बिहार के 40–50 लाख आदमी हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दुर्ग और भिलाई इलाके के लोग यहां रहते हैं और उनको एक फुट भी जगह नहीं मिलती है। उनका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं जोड़ा जाता है। कोई झोंपड़ी नहीं है। वह फुटपाथ पर सोते हैं। उनके लिए मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री जी ऐश्योरेंस दें कि उनको जगह दी जाएगी। वे लोग भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। वे अपने खून को पसीना बनाकर आपकी दिल्ली के कारखानों में काम करते हैं भट्टियों में काम करते हैं। उन इलाकों का, उन राज्यों का कोयला, लोहा बॉक्साइट, डोलोमाइट, तांबा आप यहां पर ले आते हैं अपने कारखानों को चलाने के लिए। दिल्ली में एक किलो लोहा या तांबा नहीं होता है कसम खाने के लिए, लेकिन कारखाने दिल्ली में चल रहे हैं। महोदया, केन्द्र सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर मैं यह बात कहता हूं कि किसी को झोंपड़ी नहीं देते तो उनके रहने का इंतजाम करें। फ्रेट इक्वलाइजेशन की थ्योरी चलाकर सारी दौलत आप दिल्ली में ले आते हैं, बिहार से जिस कीमत पर लोहा और स्टील आपको मिलता है उसी कीमत पर आप दिल्ली में बेचते हैं तो इस देश के उद्योगपति बिहार में कारखाना क्यों लगाएंगे? वे अपने कारखाने यहां लगाएंगे क्योंकि वहां से सस्ता माल उनको यहां मिलेगा, सस्ती लेबर मिलेगी। इसलिए हम लोग आज भिखारी बन गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिल में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो आदमी दिल्ली में काम कर रहा है कारखानों में उसका पहले वोटर्स लिस्ट में नाम होना चाहिए। दूसरे उनके रहने के लिए कहीं न कहीं झोंपड़ी डालने के लिए जगह मिलनी चाहिए। मैं हंसपाल जी के तर्क का इसलिए विरोध करता हूं।

महोदया, एक बात और कहना चाहता हूं।

उपसभापति: एक मिनट में कहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : कभी-कभी आपको गुस्सा आता है, नहीं तो ज्यादा उदारता बरतती हैं।

उपसभापति: धन्यवाद आपका।

श्री राम अवधेश सिंह: महोदया, यहां पर अंग्रेजी के बारे में बहुत विवाद हो गया। एक इंडोनेशिया का लड़का मुझे मिला था। मैंने कहा कि तुमको फ्रेंच आती है, तुम्हारे यहां तो फ्रेंच लोगों का राज था? वह राज तो हट गया, तो तुमको फ्रेंच आती है? उसने कहा कि फ्रेंच मेरे दादा को आती थी, मुझे नहीं आती। लेकिन हिन्दुस्तान में दादा को अंग्रेजी आती थी या नहीं, उसके पोते को जरूर आती है.....

डा० जैड० ए० अहमद : दादा को आती थी, आजकल की जेनरेशन को अंग्रेजी नहीं आती है ।

श्री राम अवधेश सिंह : अंग्रेजी दादा को कम ही आती थी तो भी वह अपने पौत्रों को अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं। हिन्दुस्तान में जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वह भी अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना आवश्यक समझता है ।

महोदया, मेरा कहना है कि इस बिल में पूरी दिलेरी से उनको संशोधन करना चाहिए और जो करना है वह कर लीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर जवाबदेही मत डालिए। 356 का बटन आपके हाथ में जब तक है तब तक कोई सरकार गड़बड़ करेगी तो आप उसको दबा देंगे । वह चाहे बिहार हो, तमिलनाडु हो...

उपसभापति : बिहार से बाहर मत जाइए।

श्री राम अवधेश सिंह : 356 के बटन आपके हाथ में है, घबराने की बात नहीं है। इसलिए आप 356 का बटन रहते हुए पूरी दिल्ली को अधिकार दीजिए और पूरी दिलेरी से उसको लौटाइये, आधे मन से मत करिये । राष्ट्रपति को जिम्मेदार मत बनाइये। राज्यपाल को पूरा औहदा दीजिए, उपराज्यपाल के पद को हटाइये । मेरा आपसे यही निवेदन है । धन्यवाद ।

उपसभापति : डा० पाण्डेय आप बोलिए। आप 7.45 पर शुरू कर रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पांडेय : मैं दो मिनट ही लूंगा । उपसभापति महोदया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक 1991 जब आया तो पिछले सप्ताह मैंने इस डिबेट की शुरूआत की थी । हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने जो पाकिस्तान परिकल्पना की थी उसको चव्हाण साहब के नेतृत्व में नरसिंह राव जी की सहमति से सदन में लाया गया है हमें इस बात का गर्व है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसमें पृष्ठ 12 पर धारा 85 के तहत जो बात लिखी हुई है :

(क) विधेयक अथवा उन पर संशोधन विधान सभा में पुरःस्थापित या प्रस्तावित किए जाएं उन सभी के प्राधिकृत पाठ,

(ख) अधिनियम विधान सभा द्वारा पारित किए जाएं उन सभी के प्राधिकृत पाठ, तथा

(ग) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि, विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, निकाले जाएं उन सभी के प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे :

इसके आगे लिखा है :

उपराज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए गा ।

इन दो पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौका दें । माननीय चव्हाण साहब जो हमारे सदन के नेता हैं जो गृह मंत्री इन्दिरा जी के समय में भी रहे हैं और अब भी हैं, साथ ही राजभाषा विभाग के अध्यक्ष रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा । मैं जानता हूं हिन्दी के प्रति कितना समर्पण उनका है । पिछले दिनों 14 तारीख को उन्हें पंजाब जाना था लेकिन हिन्दी राजभाषा में भी जाना था उसका उद्घाटन करने के लिए । पहले वह जयपुर गये उसका उद्घाटन किया उसके बाद पंजाब गये । उस हिन्दी प्रेमी और राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखने वाले चव्हाण साहब से सदन की पीड़ा और वेदना में व्यक्त करना चाहूंगा कि चार खंड हमने राजभाषा के आपके मंत्रित्व में और राजीव गांधी के शासनकाल में, इन्दिरा जी के शासनकाल में राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत किये हैं । उसमें अनुवाद खंड, प्रशिक्षण खंड है । हमने चार हजार से अधिक दफ्तरों की रिपोर्ट भी दी हैं...

उपसभापति : पाण्डेय जी दो मिनट हो गये ।

डा० रत्नाकर पांडेय : मेडम, एक मिनट और ।

उपसभापति : मैं तो आपके वायदे की बात कर रही हूं जो आपने यहां पर हाउस में एश्योरेंस दिया था वह आपके दो मिनट पूरे हो गये ।

डा० रत्नाकर पांडेय : चार खंड कानून का रूप ले चुके हैं । इस सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऑन बिहाफ आफ प्रेजीडेंट काम करता है । तो जो चार खंड कानून का रूप ले चुके हैं उसके लिए राष्ट्रपति जी की अवमानना मानता हूं । हिन्दी को जो राजभाषा और सम्पर्क भाषा इन्दिरा जी ने बनाया, हिन्दी के इतिहास में अजर, अमर रूप में रोजी-रोटी को हिन्दी से जोड़ा और जब हम हिन्दी कहते हैं तो उसमें समस्त भारतीय भाषाओं की बात आती है, केवल हिन्दी को लेकर हम नहीं चलते हैं, देश की जितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं सबको हिन्दी का रूप और छोटी बहन मानते हैं । मेडम, जब इस सदन में, संसद् में केवल अंग्रेजी में कागज आता है तो इस सदन की कार्रवाई नहीं चलती है तो यह कैसे माना जाए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जब बनेगी तो उसमें केवल अंग्रेजी में कागज बांटे जायेंगे और अंग्रेजी के पाठ को हम मान लेंगे . . .

डा० जेड० ए० अहमद : सब बातें जब ये कह रहे हैं तो मेडम मत कहिये ।

उपसभापति : आप मेडम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिन्दी लफ्ज इस्तेमाल करिये ।

डा० रत्नाकर पांडेय : महामहिमामयी उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज फिर एक बार जो मुट्ठीभर ब्यूरोक्रेट हैं और जो सिर्फ दो परसेंट से भी कम हैं इस देश में, उनकी घुट्टी में अंग्रेजी है, उसका शिकार हमारी सरकार न हो और माननीय चव्हाण साहब जिनका मैं राष्ट्रीय व्यक्तित्व मानता हूं, सारे सदन की भावना को मानते हुए राजभाषा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को मान्यता दें नहीं तो यह कंस्टीट्यूशन के खिलाफ होगा . . .

उपसभापति : संविधान के खिलाफ ना ।

डा० रत्नाकर पांडेय : हम कतई नहीं चाहेंगे संविधान के खिलाफ काम हो । संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धन न करे, हम इस चीज को संसद में लायें । यह किस साजिश का द्योतक है? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली "क" क्षेत्र में स्थित है और "क" क्षेत्र का सारा कामकाज हिन्दी में राजभाषा अधिनियम के अनुसार होता है । इसलिए उस राजभाषा अधिनियम की जो स्पिरिट थी, इन्दिरा गांधी जी ने जिस राजभाषा की स्थापना की थी उस भावना को आप ध्यान में रखिये । दिल्ली में 95 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं, जानते हैं और समझते हैं । सारे देश के लोग हिन्दी समझते हैं । यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र भाषा के नाम पर है । इसका मैं विरोध करता हूं और अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी की स्थापना का प्रावधान माननीय चव्हाण जी करें, इसकी मैं सारे सदन की ओर से प्रार्थना करता हूं । मैं समझता हूं कि सारा सदन इसका समर्थन करेगा ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं भी इसका समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि यह रिकार्ड कर लिया जाय ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : मैं भी इसका समर्थन करती हूं ।

उपसभापति : चव्हाण जी, आप इसका जवाब देंगे ?

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I must express my gratitude to all the hon. Members for making very valuable contributions while participating in the debate and giving very important points for the consideration of the Government. I do not know whether I will be able to give my reaction to all the points which have been raised, but I am going to make an effort to touch some of the points so that any kind of misunderstanding that is there in this respect is removed.

First of all, I would like to say that this is a combination of two different ideas which have been fused together. For the last 25 years, there had been no representative Government in Delhi. We wanted to satisfy the legitimate aspirations of the people living in this area. But, at the same time, we cannot be oblivious to the fact that Delhi happens to be the national capital. And as a national capital, there are a large number of responsibilities which the Central Government has to discharge, and maintenance of certain standards will have to be adhered to. If the things were allowed to deteriorate merely because we do not have the resources, then it will present a very bad picture to the entire world. There are a large number of Embassies located in Delhi. There are a large number of foreign dignitaries who come to Delhi for consultants. If they were to get this kind of a picture that Delhi being a State, they do not have the resources and that is why they could not mention proper roads, they could not have electricity, they could not also supply water, if that be the position, I think, it will not be desirable. And that is why the Planning Commission, the Finance Ministry and everybody has been very generous in giving greater allocations for Delhi. And that could happen only because Delhi is the national capital. And it has to be developed on those standards. That is the whole idea that we have in view. There is not even the slightest conception of not giving powers to the representatives of the people here. Please try to understand. That is why it should be a Union Territory, but given a representative character and also a Chief Minister and a Council of Ministers. So this is the set-up that we thought will definitely work, combining both the ideas together. I am sure, if the hon. Members who were members of the Cabinet in the National Front Government will recall they will see why is it that they could not take the decision about this issue. Precisely on this point only, that is, on how to combine both the ideas, was the conflict which was, going on in their mind, if I understand correctly. We have now the Sarkaria Commission Report and Balakrishnan Committee report. When the BJP members approached the Government that we should try to expedite holding elections to the Metropolitan Council, I intervened in the matter and asked as to why have elections only to the Metropolitan Council when we are at the final stage of consideration of Balakrishnan Committee report. This is the sum and substance of the thinking of Balakrishnana Committee report. By and large we have accepted most of the recommendations of Balakrishnan Committee and that is why this Bill has been presented in this form. As my friend, Mr. Bhatia, said, having accepted the Constitutional amendment yesterday unanimously, there was hardly any scope for the kind of discussion that we had....

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I had opposed it.

SHRI S. B. CHAVAN: We go by majority. Every Member has his own point of view. That does not mean that it was not passed. We go by the majority view. In spite of that, I do not object to points being raised by the hon. Members. I am not saying you don't have the right; you have the right; you have expressed your opinion, and that is why I would now like to react to some of the points which, in fact have been made.

Before going further, I must first touch on the point about the electoral college for the election of the President. This has not been given to Delhi and that is one of the points raised by most of the Members. I must say that one of the factors which in fact was responsible was, I have given an assurance that we propose to hold elections for Delhi Assembly within 6 to 8 months' time. This will de-

[Shri S. B. Chavan]

pend upon passing of the Bill and delimitation of the constituencies which will be undertaken thereafter. And after consulting all the officers concerned, I can assure you that we are going to hold elections definitely by the stipulated time. There is not going to be any delay or postponment on any account. So, kindly bear this point in mind. If I were to give this right of having electoral college for the Presidential election, it would require amendment to Article 54 and 55 which requires ratifiaction by not less than 50 per cent of the States. If that be the position, are we going to postpone the delimitation of constituencies? That, in fact, was the point for consideration with me. But we were more interested in having elections well in time. This provision regarding electoral college has only been postponed; it has not been given up. I can assure the hon. Members that Delhi Assembly is going to be included in this electoral college, so also Pondicherry. We are going to come before Parliament with this provision so that both these areas enjoy this power of electing President of India. You should not have any doubt about this.

Another point which was made was about part 2 of Balakrishnan Committee report with regard to the entire set-up of different corporations the municipal corporation and the other corporations, like the road transport corporation, etc. This is going to be delt with by a separate legislations. We are going to bring those before the Parliament. This is not going to be by an executive order; it is going to be through a regular Bill. The hon. Members are going to get the full oportunity of putting forward their points of view on the multiplicity of agencies, which in fact is one of the factors due to which we do not have the kind of efficiency that we need in Delhi.

8.00 P.M.

A point has been made as to why Delhi should not be granted Statehood. If you go through the Balakrishnan Committee Report, you would find that elaborate arguments have been given as to why Statehood should not be granted. Therefore, I would not like to take more time of the House.

A point was made about nomination. One hon. Member went to the extent of saying that 25 per cent should be co-opted and 15 per cent should be nominated. I do not know. One other hon. Member said that there were a large number of people, like scientists, tchnologists, etc., who needed to be taken into the assembly. Others pleaded in favour of linguistic minorities, large number of linguistic minorities, and suggested that they should be taken into the Assembly, either by co-option, or, by nomination, by the President. In fact, we are against nominating anyone to the Assembly. We have given up the idea of nominating anyone. Here, I put the entire responsibility on the various political parties who are going to fight the elections for the Delhi Assembly. It will be the responsibility of the various political parties. If they are intersted in the linguistic minorities and other people, who, in fact, have their own value, and who need some kind of representation—let every party consider this aspect of the question, give them ticket. and I am sure, they will get the necessary representation. But I do not think we should try to give them representation, in an indirect manner, by nomination. At least, from my experience in the field for the last forty years, I can tell you that the power of nomination has always been misused. We introduced this element for a very noble purpose. But later on, we find that all kinds of people are being nominated. Then, everybody blames 'How is it that you have nominated this person; how is it that you have nominated that person?' etc. Actually, for the time being, we do not have any

idea of nominating anyone. I will leave it to the political parties, to nominate eminent people and others.

A very valid point which was made was about delimitation of constituencies. It was said that efforts should not be made to see that, in the name of delimitation, linguistic minorities were deliberately divided in different areas, so that they do not succeed in getting proper representation.

SHRI RAFIQUE ALAM (Bihar): What about religious minorities?

SHRI S. B. CHAVAN: When I say 'linguistic minorities', it also includes 'religious minorities'. I can certainly assure the House. I will see to it that the officers are given proper instructions that, while doing this work, no deliberate effort should be made to separate religious and linguistic minorities without justification so as to deny proper representation. This kind of exercise should not be undertaken. It will be the responsibility of the Government to see that this does not happen.

One hon. Member referred to 1971 being the basis in the case of most of the Assemblies. I am aware of it. There was a meeting of the National Development Council. In the context of the growing population, it was a deliberate decision taken at the meeting of the National Development Council, that 1971 should be the basis, so that any increase in population does not result in anybody getting additional benefit. That was the whole concept. In the case of Delhi, we have adopted 1991 as the basis. Is it going to be a kind of distinction which you will not be able to justify? This was the point raised. We have consulted all the eminent lawyers in the field. I am sure, this is not going to create any problem. In fact, there should be no difficulty. This morning only I ascertained. The provisional figures of the 1991 Census are published. Therefore, there should be no difficulty in adopting the 1991 Census Provisional figures.

Now, the question of law and order, land and other matters. If these are not with the Assembly, with whom are they going to be? This was also one of the points raised. That which is not with the Assembly is definitely going to be with the Central Government and the Parliament. There should be no doubt on that score at all. All residuary powers, in fact, all the powers which are not specified, are with the Central Government. That is why, deliberately, it was done, for a particular purpose, which I have enunciated in the beginning.

Another question which has been raised is: is there going to be a conflict between the Centre and the National Capital Territory of Delhi? If a particular party is in power, in the Delhi Assembly... and the Central Government happens to be of a different party, there is bound to be a conflict. This is the point which was made. I can assure the hon Members that there is enough provision in the Bill which, in fact, will allay all these apprehension that the hon. Members have in view. The Central Government is also the authority to enact on subjects which have been entrusted to the Assembly. Supervision control is also with the Government. On that score I do not think there is going to be any scope for any kind of a conflict between them.

There is one more very important point on which I do not know whether I should say anything because the feelings are very much worked up on that issue. Might be, that people will try to misunderstand. Madam, the only point which we have to consider is that in the case of Bills, orders, all other things it is going to be bilingual, there is no difficulty about it, but the question arises, in a court of law which is the authentic

[Shri S. B. Chavan]

version, whether it is Hindi or Marathi version or a Telugu version or a Tamil version or the English version which is going to be considered as authoritative for matters of interpretation by the courts? It is a very limited scope.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why not Hindi?

SHRI S. B. CHAVAN: It is because of the fact that we have to understand the realities of life.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Why not Tamil?

SHRI S. B. CHAVAN: Even in Tamil Nadu also, I can say that in Tamil Nadu they think in English and then translate in Tamil.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No, no, Sir. (*Interruptions*).

SHRI S. B. CHAVAN: I have taken a wrong example. Take the example of Maharashtra. There is the Marathi language which is the official language. I am a Maharashtrian, I know Marathi, but there when it is a question of going to the court and interpretation of law, it is not the Marathi version which is going to be considered authentic, it will be the Englsh version which is going to be considered. At least for the time being you will have to live with the idea...

SHRI S. S. AHLUWALIA: What about illiterate masses of the country? Which language will they consider?

डा० रत्नाकर पांडेय : मैडम आन ए प्वाइंट आफ आर्डर...

उपसभापति : आपके लीडर उठकर खड़े हैं । क्या प्वाइंट आफआर्डर है ।

डा० रत्नाकर पांडेय : पांचवां जो खंड राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं राजभाषा का उसमें है कि विधायिका का सारा काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो । इससे संबंधित हम उपस्थित कर रहे हैं... (व्यवधान)

इसलिए कोर्ट के सामने भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए ।

SHRI S. B. CHAVAN: That is why I said that this is an issue on which there is bound to be a difference of opinion.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं केवल यह चाहता हूं...

उपसभापति : आप बैठ जाइये ।

श्री शंकर दयाल सिंह : आपने जो स्टेट्स का हवाला दिया मैं मानता हूं लेकिन एक चीज देखिए, आप महाराष्ट्र का नियम उठा लीजिए या कर्नाटक का, तमिलनाडु का या बंगाल का, सबमें है कि असेम्बली जो भी एक्ट जो भी बिल पास करती है वह वहां की भाषा में है । देख लीजिए । भले ही अंग्रेजी में इंटरप्रेट होकर आ जाए । दिल्ली के बारे में हमने आपको यह कहा कि जब यह अधिनियम 1976 बना था उसमें क्लियर 8 जगहों का दिया था । मैं यह कहता हूं कि जैसे संसद में है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सारी चीजें पेश की जाती हैं उसी तरह से वह गलत ड्राफ्टिंग है, फिर से इन्क्वायरी की जाए उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एण्ड इंग्लिश, यह रखना चाहिए था । तब वह करेक्ट होगा नहीं तो जो असेम्बली आपकी बैठेगी सबसे पहले इसी पर संशोधन वह पेश करेगी । बहुत गम्भीरता से सोचिए, देखिए, यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please.

श्री एल० बी० चव्हाण : असेम्बली क्या करे, इसके बारे में मैंने अपनी कोई राय नहीं दी है । मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं—

I would like to tell honourable Members that I understand the sentiments of the honourable Members, but both English and Hindi are bound to be there. But when it is a question of interpretation and if there be any conflict and somebody is not able to understand, then you have to understand.. ...(*Interruptions*) ... Madam, I think I have explained the whole thing. ..(*Interruptions*).. I don't think... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will not permit anything... (*Interruptions*)... It is all right, please sit down; please take your seat. Let the Minister answer. Please sit down now... (*Interruptions*)... No comments.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, to the extent possible I have clairfied some of the points which honourable Members have made. Now I would request the House to kindly pass this Bill as early as possible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to supplement the provisions of the Constitution relating to the Legislative Assembly and a Council of Ministers for the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Now, before I take up clause-by-clause consideration of the Bill, I have got a lot of amendments in various names. Shankar Dayal Singhji tops the list because he has given amendments on clauses 2 to 38, 40, 41, 43, 46 to 48, 51, 53 to 55 and clause 1. Now I would like Shankar Dayal Singhji to move them, if he wants to move them, together so that we can go ahead.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Kindly withdraw.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If he withdraws, fine; if he doesn't, let him move all of them together.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभापति जी, यह जो आपने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र ... (व्यवधान)

उपसभापति : आप भाषण नहीं करें । मैं क्लाज पर आपसे मूव करा लूंगी ।

श्री शंकर दयाल सिंह : आपने मेरे संशोधनों पर जो चर्चा की और आपने बताया जो टोटल संशोधन मैंने दिये हैं, मैं समझता हूं कि वह चालीस या बयालीस हैं ।

इसमें से केवल छह संशोधनों पर ही मैं चाहता हूं कि गंभीरता से विचार किया जाए ।

उपसभापति : आप नम्बर बता दीजिए ताकि मैं वह याद रख लूंगी

because I might be fast and you might get lost!

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Clause 2 (No. 3), clause 3 (No. 5), clause 5 (No. 9), clause 7 (No. 12), clause 13 (No. 19), clause 19 (No. 28) (*Interruptions*)...

मूव क्या, मैं छेओं के बारे में एक साथ बोल दे रहा हूं । आपका काम आसान हो जाएगा ।

देखिए, मेरा सब से पहले तो अनुरोध यह है कि आपने जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक पेश किया है, उसमें हर जगह आपने अंग्रेजी में इसका नाम दिया है, "दी नेशनल लेजिस्लेटिव असेम्बली" और हिन्दी में

[श्री शंकर दयाल सिंह]

आपने हर जगह "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" दिया है ।

मेरा इसमें कहना केवल यह है कि क्योंकि हर जगह मैंने उसी को कोट किया है, आप इसका सिंपल नाम "राष्ट्रीय विधान सभा" रखिये ।

देखिए, लोक सभा—राज्य सभा, हम लोग अंग्रेजी में भी लोक सभा यूज करते हैं, राज्य सभा यूज करते हैं । यहां आपने एक बार दो नाम रखा इंडिया और भारत की तरह से दोनों नाम चलने लगेंगे । इसलिए हमारा आपसे अनुरोध इसमें है कि अपनी सुविधा के लिए, देश की सुविधा के लिए मर्यादा के लिए, आप "राष्ट्रीय विधान सभा" उसका नाम रखें और इसी के लिए हमने जो सारे संशोधन आपको गिनाएं हैं जो कि 36 हैं और केवल एक ही चीज के लिए मेरे संशोधन हैं । नंबर एक "राष्ट्रीय विधान सभा" ।

उपसभापति : हो गया आपका, अब आ गए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अब आइए, आपकी सुविधा के लिए मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं । क्लाज 3 में हमने जो दिया है... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : विधान सभा को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा "नेशनल असेंबली"... **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंह : आप क्यों बोलिएगा अंग्रेजी में आप लोक सभा, राज्य सभा बोलिए... **(व्यवधान)** मैंने अपनी बात कही । नंबर दो, अब आइये क्लाज 3 में जो 5वां दिया है, बहुत सदस्यों ने यहां अपने भाषण में यह बात कही कि आप 70 की जगह 80 प्रतिनिधित्व दीजिए यह संशोधन हमारा है । बहुतों ने, अधिकतर लोगों ने 84 का दिया है । लेकिन सेंसस के अनुसार आजादी के समय दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी, आज 80 लाख है, तो आप एक लाख पर तो एक प्रतिनिधि अपने सेंसस के अनुसार दीजिए । तीसरा, मैडम, जिसके ऊपर हम स्ट्रैस करना चाहते हैं वह है क्लाज 5(9) और उसमें आपने दिया है :

"That in the proviso to clause 5 *after* the words "be extended" the words "on the recommendations of the Lieutenant Governor"

लैं० गवर्नर को कुछ तो आप ताकत दीजिए उसको लगे कि बिल्कुल उसका इग्नोअर करके सारी बातें हों यह भी ठीक नहीं है ।

नैक्स्ट क्लाज 7(12) में आपने दिया है :

"as soon as may be"

हमने दिया है कि आप इसकी जगह पर दीजिए :

"at the earliest",

उपसभापति : यह आपने भाषण में नहीं बोला था ?

श्री शंकर दयाल सिंह : नहीं भाषण में मैंने केवल एक प्वाइंट दिया और छठा जो मैंने दिया है क्लाज 19(28) में :

"That the following proviso be added to clause 19, namely—

"Provided that the salaries and allowances of Members of the National Legislative Assembly shall in any case not be higher than that of the salaries and allowances of the Members of Parliament."

इसलिए मैंने कहा है कि हर जगह असेंबलियों की आजकल एक पद्धति चल गई है कि अनाप-शनाप रूप से वे अपने वेतन-भत्ते बढ़ाते जा रहे हैं और जबकि उनके मुकाबले संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते बहुत कम हैं । आप मिलाकर देख लीजिए । तो कम से कम दिल्ली पर एक तो आप बंधन जरूर लगाइये । नहीं तो दिल्ली में क्या होगा कि आपके पार्लियामेंट के मेंबर को भत्ता मिल रहा

है 150 रुपया रोज, दिल्ली की जो आपकी राष्ट्रीय असेंबली बनेगी वहां लेंगे 250 रुपये रोज या 300 रुपये रोज। अगर आप इस तरह का आदर्श चव्हाण साहब प्रस्तुत कीजिएगा तो मैं समझता हूं कि दूसरी जगहों पर असेंबलियों के लिए भी एक प्रेरणा की बात होगी। इसलिए मैंने कहा कि आप उस प्रोविजन को जरूर दीजिए। यह बहुत ही निरामिष और आपके लिए भी एक अच्छाई की बात मैं कह रहा हूं। बस यही मैडम, मैं यह 6 अपने संशोधनों के बारे में कहना चाहता हूं और चव्हाण साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें, यही मेरा अनुरोध है। बाकी संशोधनों को मैं मूव नहीं करता हूं।

उपसभापति : सब वापस ले लिए?

श्री शंकर दयाल सिंह : हां, केवल 6 संशोधन रखे हैं।

उपसभापति : अब पता नहीं 6 मुझे याद नहीं है।
I will have to put them to vote. But I have to think of them when I am putting them to vote.

श्री शंकर दयाल सिंह : 6 तो मैंने कह दिए।

उपसभापति : अभी आप बैठिए।
We shall now take up the clause-by-clause consideration.

Clause 2 (Definitions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 2. There is one amendment by Shri Shankar Dayal Singh.

Shri Shankar Dayal Singh.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, मैं तो 6 के बारे में कह रहा हूं और अगर मंत्री महोदय कोई इसके लिए भरोसा दे दें, इसमें कुछ भी देखिए अगर कोई गलत कहा हो तो आप कहिए।

आप कहिए, तब मैं छहों वापिस लेने पर विचार करूं? आप का समय बचेगा। सैलरी, भत्ता किसी पर तो कुछ कहिए?

श्री एस० बी० चव्हाण : ये जो छः संशोधन दिए हैं, आप मेरे पास आइए हम दोनों बात कर के, इस में से जो रास्ता निकल सकता है, निकालेंगे।

श्री शंकर दयाल सिंह : मुझ से बात करेंगे? अच्छी बात है। गृह मंत्री महोदय, जब ये आश्वासन दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह जेंटल मेंस एग्रीमेंस है और निश्चित रूप से छः में से एक-दो तो ये जरूर मान लेंगे?

डा० रत्नाकर पांडेय : आपकी सरकार के मंत्री अविश्वसनीय थे, हमारी राज्य सभा के नेता पूर्ण विश्वसनीय हैं, जो वह करेंगे, यह सारा सदन आश्वासन देता है।

श्री शंकर दयाल सिंह : इसलिए इनके आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधनों को मूव नहीं कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause-3

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: I am not moving my amendments.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I am also not moving my amendments.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दो मिनट बोलूंगा। इसमें मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा के सीट्स 70 प्रस्तावित हैं, लेकिन बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रपोर्सनेटली उसको 90 करना चाहिए, एक संशोधन तो यह है। दूसरा यह है कि

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यहां के मंत्री या मुख्य मंत्री वही हों जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य हों। यह जो प्रावधान है कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्य मंत्री रह सकता है बिना विधान सभा के सदस्य हुए, इस प्रावधान को आप बदल दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : वह कांस्टीट्यूशन में है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और तीसरे उपराज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार मुख्य मंत्री की सलाह पर होना चाहिए। इन पर कुछ आश्वासन दे दीजिए ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस में एल० जी० का कोई हिस्सा नहीं है। यह भंग करने का काम जो है, उनकी तरफ़ से जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही यह लिया जाता है। इसलिए मैं नहीं समझता, कांउसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो उनको एडवाइज करेगी और अगर वह नहीं करती तो अदरवाइज भी हम को अधिकार हैं, उसको भी हम उपयोग में ला सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : बाकी दो पर बोलिए ?

श्री एस० बी० चव्हाण : बाकी पर नहीं।

उपसभापति : कुछ तो जरूर बोलें, मगर आपके मतलब की बात नहीं बोले। अब आपने संशोधन विदड्रा कर लिए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जी हां।

उपसभापति : ठीक है।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Hon. Mome Minister has said there are no tribals in Delhi. I would like to point out that in 1976 we removed the area restrictions as far as the Adivasi tribals are concerned. I know that there is a tribal population in Delhi. The Census for Delhi has not taken into consideration the tribal population which has migrated from other States to Delhi. If you look at Article 344, there is a duty cast upon this Parliament and upon the Members of the House that wherever a new Assembly is created, they have to make provisions for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes. Under the guise that the Census reports do not give the figures of these tribals, we cannot say there is no tribal population. Part of the population which migrated from Bihar and which was referred to here, is a tribal population. Similar is the case with the population that migrated from Orissa and Madhya Pradesh. Now, when you say that you have removed the area restrictions and you have given to the plains tribals the facilities of reservations... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. He has a right to put his point of view.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I am not going into what happened yesterday, because that Bill we had passed without any discussion. I am not going into that. That is our Constitutional responsibility. Tribals might be there or might not be there but we will have to make provision and see that the reservation is given to them. In the process of delimitation, you might locate the Tribal population and then you can come and say that you have discovered Tribal population and you have come with an amendment and threfore elctions should be postponed. Therefore, I humbly request the Minister to consider and accept my amendment.

SHRI S. B. CHAVAN: On the basis of information that I have, I can say without any fear of contradiction that there are no Tribals in Delhi. Even if they are there, they are not in a concentrated area where reservation of seats can be given. I can well understand giving all the facilities which are available to the Tribals in Delhi. But after delimitation if the Government was to come to this con-

clusion that they are in a compact area and a seat can be given to them, then, that will be the stage when we can consider it. But at this stage on the basis of the information I have, I don't think it is necessary to consider this point.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: May I point out one thing? In the census of 1981 there was a flaw which has been carried on for the last 40 years. The flaw is no Tribes have been classified by the President of India for Haryana, Jammu and Kashmir, Punjab, Chandigarh, Delhi and Pondicherry Since they were not classified, you won't find figures of the Tribal population anywhere.

If this has been carried on for the last so many years, is it not our duty to protect the Tribals while framing an Act?

SHRI S. B. CHAVAN: After the whole thing is gone into, if we come to this conclusion that they are in a compact area deserving some kind of reservation, certainly at that stage we can consider it. But at this stage on the basis of information that I have, I cannot consider this point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Ambedkar, are you withdrawing or moving your amendment?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I move:

"That at page 2, *after* line 36, the following be *inserted*, namely:--

'(4) Seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly, and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Tribes in the Capital bears to the total population of the Capital and the provisions of article 334 shall apply to such reservation'."

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 33 were added to the Bill.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, क्लाज 44 में जो मैंने कहा है, उसको मैं विदड्रा कर लूंगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय की दृष्टि में यह लाना चाहता हूं कि जहां बहुत से नियम बनाने का अधिकार ऊपर राष्ट्रपति को दिया है, वहां पर इसके "तीन" के अंश में केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है । तो मेरा कहना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियम बनायें लेकिन कम से कम जो चुना हुआ मुख्य-मंत्री है उसकी सलाह से बनायें । तो यह, एक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पद्धति अगर डाली जाएगी तो अच्छा होगा यही बात कहकर मैं अपना विदड्रा करता हूं ।

Clauses 39 to 49 were added to the Bill.

Clause 50 (Period of order made under article 239AB and aproval thereof by Parliament)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Madam, I move:

"That at page 17 line 38, the words "beyond the expiration of one year" be *deleted*."

The question was proposed.

हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी प्रदेश को असेम्बली भंग की जाती है तो उसकी स्वीकृति

[Shri Jagdish Prasad Mathur]

सदन से ली जाती है । इसमें यह कहा गया है कि एक साल से अधिक यदि बढ़ाया जाएगा तो ही यह संसद के सामने आएगा । यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है । मेरा कहना यह है कि यदि आप एक साल की भी अवधि बढ़ाते हैं तो इसे सदन के सामने आना चाहिए । जो आर्टिकल 356 है, उसकी आत्मा को जीवित रखना चाहिये । इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अगर आप आर्टिकल 356 पढ़ें तो उसकी जो 2 और 3 क्लासिज हैं, वह इसमें एप्लीकेबल होती हैं । इसलिए पहला जो साल है, उसके लिए भी पार्लियामेंट के सामने आना जरूरी हो जाता है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो फिर यह शब्दावली रिडेंडेंट है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : शब्दावली में ही वह अर्थ है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं पढ़ रहा हूं :—

"subject to the condition that every extension of the said order for any period beyond the expiration of one year shall be approved by resolutions of both Houses of Parliament."

(व्यवधान)

इसमें शादी की कौनसी बात है ? यह आर्टिकल 356 शादी में लगाना चाहते हैं ? . . . (व्यवधान)
आगे यह शादी करेंगे तो उसको पुष्टि सदन में करवायेंगे ?

उपसभापति : उसका भी एक क्लाज लाकर अमेंडमेंट पास कर देंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

"Subject to the condition that every extension of the said order for any period beyond the expiration of one year shall be approved by resolutions of both Houses of Parliament."

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरा पढ़िये न आप ।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: "Notwithstanding anything contained in sub-section (1),... (*Interruption*).

खैर छोड़िए, यदि मंत्री महोदय इसका इंटरप्रिटेशन यह दे रहे हैं, जो मेरी मांग है तो मुझे यह स्वीकार है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब मेरी बात मान ही ली है तो मैं विदड्रा करता हूं ।

The Amendment (No. 62) was, by leave, withdrawn.

Clauses 50 to 56 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed".

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, special mentions.

एक मिनट बैठिये

(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: No special mentions.

SOME HON. MEMBERS: No special mentions.

उपसभापति : आप बैठिए तो । अगर स्पेशल मेंशन नहीं लेना है तो यह हाउस का और मेम्बर्स का मामला है वे विदड्रा कर लें, मगर आप लोगों का कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दें । उसके लिए तो बैठिए । . . . (**व्यवधान**)

We are not taking up U.G.C. today.

VALEDICTORY REMARKS

उपसभापति : . . . . (**व्यवधान**) मैं आपका और सबका शुक्रिया अगर आप चाहें तो अदा करूं और अगर न चाहें तो न करूं . . . (**व्यवधान**) मैं आपको बतला दूं कितना काम किया है आप लोगों ने । . . . (**व्यवधान**) ठीक है, शेरो-शायरी तो बेकल उत्साही साहब करेंगे . . . (**व्यवधान**) अभी करवा देंगे, उनसे पढ़वा देंगे ।

इस सेशन में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई हैं, टी.वी. आया है । जरा बातचीत कर लें ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मैडम्, इस सेशन का अन्त माथुर साहब के अभिनय से हुआ । उससे बड़ा मनोरंजन हम लोगों को हुआ ।

TH9 DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, within a few minutes from now I shall be adjourning the House *sine die* terminating this 161st Session of the Rajya Sabha. Before I do so, I shall like to express on behalf of my colleagues on the Panel of Vice-Chairman and on my own behalf, our thanks to the Leader of the House, the Leader of the Opposition and the Leaders of all political parties and groups in the House and all Members for the cooperation extended to us in conducting the proceedings of the House.

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : जरा इसमें दिल की गरमी भी डालिए हुजूर ।

उपसभापति । अच्छा डालती । अब आप लोगों की सीट कम तो दिल की गरमी भी कम हो गयी है । इधर ज्यादा गरमी है ।

This Session had been momentous as also tumultuous. It will not be an exaggeration, if I say that not a single day passed when during the so-called 'Zero Hour' din had not erupted or excitement was not generated. The emotional upsurge on issues agitating the minds of Members was very much evident almost every day commencing from first day of the Session and the epilogue was provided immediately after conclusion of Private Members' Business today.

But it was a passing phase; the House soon proceeded to discuss very serious issues like earthquake in Uttarkashi, floods, doctors' strike, price situation, public sector and so on. On the menace of terrorism, we had a marathon debate and I must note that during this Session, many a time, the Cauvery flooded our House. (*Interruptions*). It was good enough that we did not have the earthquake from Uttarkashi. Despite our differences at the political level, the House does rise to the occasion as was evident during the Constitution (74th) Amendment Bill which was passed swiftly without discussion.

The twenty-three sittings of the Session occupied 145 hours of time. The popularity of Special Mentions is growing Session by Session. Till yesterday, their number was 175, thanks to the cooperation of the Members; otherwise it would have gone up to 195.

A significant development that took place during the Session was the telecast of the Question Hour on Doordarshan for a week. The lights and cameras have entered the Chamber and the experiment appears to have been appreciated by the people. As we extend the duration of the tele-